राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति 1, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल: [illegible]@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (सिया-1), छत्तीसगढ़ की दिनांक [illegible]/07/2025 को संपन्न [illegible] बैठक का कार्यवृत्त [illegible]

[illegible]

राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी-1) छत्तीसगढ़ की दिनांक 23/07/2025 को [illegible] राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में [illegible] निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. [illegible], अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति।
2. श्री [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति।
3. श्री [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति।
4. श्री [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति।
5. [illegible], राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति।
6. [illegible] निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्रमांक [illegible]:- परियोजना प्रस्तावकों [illegible] आवेदनों/[illegible] में प्रस्तुतिकरण पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / [illegible] / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना:

1. [illegible] – श्री [illegible], ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-रायपुर [illegible]
ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव क्रमांक – [illegible]/2025, दिनांक [illegible]
[illegible] है। [illegible] हेक्टेयर है। [illegible] से [illegible] है।
तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के [illegible] दिनांक [illegible] द्वारा [illegible] सूचित किया गया।
बैठकों का विवरण –
(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक [illegible]/07/2025:

[illegible] dated 23.07.2025.docx

[illegible] समिति द्वारा [illegible] प्रस्तुत [illegible] का [illegible]

1. भूमि [illegible] स्वीकृति [illegible] विवरण [illegible]

2. ग्राम पंचायत का [illegible] प्रमाण पत्र – [illegible] दिनांक [illegible] का [illegible] रूप पर प्रस्तुत किया गया है।

3. [illegible] प्रस्तुत किया [illegible] दिनांक [illegible] द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित [illegible] – [illegible] कलेक्टर [illegible] जिला–[illegible] के [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] किया गया है। [illegible] 500 मीटर [illegible] किया जाए [illegible] मीटर की दूरी [illegible]

5. [illegible] की परिधि में [illegible] जिला [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] 500 मीटर की परिधि [illegible] नहीं है।

6. भूमि एवं एन.ओ.सी. संबंधी विवरण – [illegible] एन.ओ.सी. कलेक्टर, जिला–[illegible] दिनांक [illegible] किया गया है।

7. [illegible] (Drainage Survey Report) [illegible] किया गया है।

8. वन विभाग का [illegible] दिनांक [illegible] की प्रति [illegible] रूप पर प्रस्तुत किया गया है।

[illegible]

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिलपरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सिलपरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बनौरा 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.5 कि.मी. दूर है। सोनकी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,780 टन, माईनेबल रिजर्व 68,938 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 62,042 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,625 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,468
द्वितीय	34,468

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं पहुंच मार्ग में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

<table>
<tr><td rowspan="4">40</td><td rowspan="4">2%</td><td rowspan="4">0.80</td><td colspan="2">Following activities at Government Middle School,
Village - Bhitghara</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>Running water facility for flushing and washing Toilets</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.80</td></tr>
</table>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बादलखोल अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 171/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2021/3173, जशपुर, दिनांक 10/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. एवं बादलखोल अभयारण्य से 5 कि.मी. दूर है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. परियोजना हेतु खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा सलाहय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं संधारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गजेन्द्र जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खि.प्र.), जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2240ए/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 08/11/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन (78,750 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 56,650 टन (21,790 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 50,896 टन है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के संधारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 665 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा के 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 2.68 मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सलाहय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. ऊपरी मिट्टी कन्जरवेशन प्लान को परियोजना लागत में सम्मिलित कर कुल परियोजना व्यय प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 17/10/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 06/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 06/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 665 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा में 100 वर्गमीटर क्षेत्र में

1 मीटर की ऊंचाई एवं 28 डिग्री स्लोप में डम्प किया जावेगा। शेष 1290 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 648/3 रकबा 8070 वर्गमीटर में 1 मीटर की ऊंचाई एवं 28 डिग्री में डम्प किया जावेगा।

2. न्यायालय नायब तहसीलदार, बगीचा, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 420/वाचक/2024 बगीचा दिनांक 10/10/2024 द्वारा लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन बाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. सिक्वेन्शियल रिकार्ड के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित करवाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि समाप्त हो गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 664वीं बैठक दिनांक 06/03/2025 एवं ज्ञापन दिनांक 03/06/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 29/05/2025 एवं दिनांक 23/07/2025 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ड़) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 48/2024 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 18/09/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ जिला कार्यालय, जशपुर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 58 के तहत् उत्खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृति हेतु बैगर पर्यावरण सम्मति के सीधे प्रारूप बाईस में जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 10/02/2021 त्रुटिपूर्ण है, जिसे अपास्त किया जाता है। उक्त आवेदन को जीवित मान्य किया जाकर आवेदक श्री गजेन्द्र जैन आत्मज स्व. श्री सेठमल जैन निवासी कुनकुरी के नाम पर निर्माण विभाग का वैध कार्यादेश वर्तमान में जीवित होने कि स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा पर्यावरण सम्मति से संबंधित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति उपरान्त नियम 58(1)(पांच) के तहत् स्वीकृति आदेश प्रारूप बाईस में जारी किया जाना होगा। उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आशय पत्र की समय–सीमा निर्धारित न होने से इसकी वैधता स्वमेव प्रचलनशील है।**

सम्यक रूप से विचारोपरांत प्रस्तुत उत्खनन अनुज्ञापत्र आवेदन को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति की स्थिति में जीवित मान्य किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल जिला–जशपुर, के ज्ञापन क्र./मा.चि./2025/3850 जशपुर, दिनांक 12/06/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार

आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 01 कि.मी., वन्यजीव अभ्यारण्य गूगल अर्थ के आधार पर लगभग 2.50 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित लीज क्षेत्र की सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/57/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स मितापरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.- श्री गजेन्द्र जैन) को ग्राम-मितापरा, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 907/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर, क्षमता-34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तद्नुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स ओके ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो.- श्री यतीन्द्र कुमार खत्री), ग्राम-तुलसाघाट, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2379)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/425143/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-तुलसाघाट, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 61/1/क, कुल क्षेत्रफल-2.31 में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,500 घनमीटर (16,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/06/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 23/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 61/1/3, कुल रकबा–2.31 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 347/खनि–2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/04/2018 से 31/03/2019 तक	628
2019–2020	1,396
2020–2021	1,439.2
2021–2022	1,383
2022–2023	766

समिति का मत है कि दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुसवारा का दिनांक 04/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) कार्यालय कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1106/ख. लि./लीज–1/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 365/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 348/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी लगभग 83 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री यतीन्द्र कुमार खत्री के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री ओंकार खत्री के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 59 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 135 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 46,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 41,318 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 701 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है।

उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 27.5 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	षष्टम	1,500
द्वितीय	1,500	सप्तम	1,500
तृतीय	1,500	अष्टम	1,500
चतुर्थ	1,500	नवम	1,500
पंचम	1,500	दशम	1,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है;

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 360 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 46,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,200 रूपये, खाद के लिए राशि 2,640 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,35,440 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,75,720 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के भीतर 160 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष होने के कारण एवं 60 वर्गमीटर क्षेत्र को इलेक्ट्रीक पोल होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर.(Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम–तुलसाघाट, तहसील–लोरमी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण या मियावाकी गार्डन (स्कूल के किनारे/मुक्तिधाम के किनारे/तालाब के किनारे) के लिए शासकीय भूमि का क्षेत्र और खसरा क्रमांक उपलब्ध कराने बाबत् ग्राम पंचायत तुलसाघाट को आवेदन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर बाउंड्री छोड़ी गयी है, उस पर फेंसिंग करवाकर वृक्षारोपण का कार्य कराने तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जायेगी।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन करावन खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्ठे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्ठा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तो का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तो के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्ठे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईंट भट्ठे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 06/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 06/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 202/ख.लि.–2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 06/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	60
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./62/2024 मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 06 कि.मी., निकटतम वन्य जीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) 07 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा–किसली 110 कि.मी. की दूरी पर है।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्ठा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्ठा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा मसौदे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Govt. Primary School **Village-Tulsaghat**	
			Water supply facility with maintenance including tiles in toilets of boys and girls	1.10
			Total	1.10

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 233/खलि.02/2024–25 मुंगेली, दिनांक 17/03/2025 अनुसार आवेदित खदान से 01 किलोमीटर की परिधि में 644 मीटर की दूरी पर 01 खदान आवंटित है।

3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढ़क कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

11. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 365/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.31 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स ओके ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो.- श्री वीरेन्द्र कुमार खत्री) को ग्राम-तुलसाघाट, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 61/1/अ में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.31 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो.- श्री विनय केशरवानी), ग्राम-जमुनाही, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2380)**

   ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425146/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

   प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जमुनाही, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 23/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केशरवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 83/6, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/349/खलि.–2 उ. प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	वर्षवार	कुल उत्पादन (घ.मी.)
1	06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
2	01/04/2019 से 31/03/2020 तक	920
3	01/04/2020 से 31/03/2021 तक	960
4	01/04/2021 से 31/03/2022 तक	672
5	01/04/2022 से 31/03/2023 तक	768

दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीखार का दिनांक 22/07/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) वास्ते कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1107/ख.लि/तीन–1/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 351/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 350/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी खदान से 80 मीटर एवं स्कूल 128 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण**– लीज मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स प्रो.– श्री विनय केशरवानी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5 एवं 63/6 श्री विनय कुमार के नाम पर तथा खसरा क्रमांक 47/4 श्रीमती जानकी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल, जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/राजस्व/613 मुंगेली, दिनांक 07/03/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 7 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 7 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 100 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,374 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 643 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है।

उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की सम्भावित आयु 23.37 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्टम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 322 नग वृक्षारोपण किया जाना जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 49,472 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,430 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,17,902 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,74,888 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार 120 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं 50 वर्गमीटर क्षेत्र को लेबर हाऊस होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि चिमनी भट्टा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही खदान से मनियारी नदी 80 मीटर दूर है। समिति का मत है कि नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाना आवश्यक है। अतः मनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए, रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
30	2%	0.60	Following activities at, **Village- Jamunahi**	
			Pavitra Van Nirman	7.90
			Total	**7.90**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 405 नग पौधों के लिए राशि 80,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 45,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,030 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,45,110 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,45,884 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम जमुनाही की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 50 के 40 डिसमिल रकबा भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 18 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षो तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जावेगी।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई एश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

25. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्ठा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान से मनियारी नदी 80 मीटर दूर है। नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाए। अतः मनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए, रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(4) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केसरवानी, कंसल्टेंट उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 201/खनि-2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	240
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 26,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,590 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 15,761 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है।

4. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है इस प्रकार से 10 लाख ईंट बनाने के लिए 100 टन कोयले की आवश्यकता होगी कोयला तारपोलिन शीट से कवर्ड ट्रकों के द्वारा एस.ई.सी.एल. कोरबा या लोकल बिलासपुर के डेपो से खरीदी जाती है कोयले को तारपोलिन शीट से ढक कर लीज सीमा के अंदर रखा जाता है।

5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन्स से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. कच्चे माल/ईंट/कोयला/फ्लाईऐश परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार खंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/07/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल जिला–मुंगेली, के ज्ञापन क्र./मा.चि./60/2024/मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी 06 कि.मी. है। वन्यजीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) की वास्तविक दूरी 07 कि.मी. है एवं राष्ट्रीय उद्यान (कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान) की वास्तविक दूरी 110 कि.मी. है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन करवाकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

14. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 351/खनि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो.– श्री विनय केशरवानी) को ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स सिरखोला क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा), ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2559)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435453/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–40,045.2 टन (15,402 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–15,402 घनमीटर (40,045.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 09/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 119/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	408.00
2019–20	1020.00
2020–21	268.00

2021–22	25.00
2022–23	28.00

समिति का मत है कि वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चौटी का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) चौटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला– कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/03/2007 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु दिया थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 25/03/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2005/1529, दिनांक 29/09/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र से वन भूमि की दूरी 820 मीटर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरखोला 400 मीटर, स्कूल सिरखोला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 39 कि.मी. दूर है। बनास नदी 5 कि.मी., नहर 2 कि.मी. एवं बटदीन नाला 350 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,73,188 टन, माईनेबल रिजर्व 4,61,611 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,15,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर (7.5 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,014.20	षष्टम	39,093.60
द्वितीय	39,000.00	सप्तम	39,109.20
तृतीय	39,046.80	अष्टम	39,156.00
चतुर्थ	39,062.40	नवम	39,327.60
पंचम	39,078.00	दशम	40,045.20

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान की दुर्गाशंकर मिश्रा (खसरा क्रमांक 121, क्षेत्रफल – 1.3) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र (सरकारी भूमि) के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

[illegible] dated 23.07.2025.docx

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
20	2%	0.4	Following activities at, **Village- Chanti**	
			Pavitra Van Nirman	2.9875
			Total	**2.9875**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, करंज, सीसू, बोहार, सीताफल, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 475 नग पौधों के लिए राशि 23,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,38,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,60,000 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चांटी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.19 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. संचालित खदान राज्यमार्ग से 39 मीटर दूर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. मलवा उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जमुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. संचालित खदान राजमार्ग से 39 मीटर दूर है। राजमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

8. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।

9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से सुनिश्चित बास्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 674/ख.लि.–2/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022–23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

4. पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) भाटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक 09/03/2011 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रोग्रेसिव्ह क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 463/ खनिज/उत्ख.यो.अनु./2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 08/07/2024 द्वारा अनुमोदित है।

6. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 5,65,070 टन, माईनेबल रिजर्व 1,39,223 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,26,301 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2031.88 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 05 वर्ष है। राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी हेतु 6495.82 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,928.61
द्वितीय	40,045.20
तृतीय	24,069.91
चतुर्थ	12,721.13
पंचम	12,721.13

7. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा 1,357.54 घनमीटर है, जिसे 7.5 मीटर की परिधि में व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

8. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.37 हेक्टेयर) पर 925 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 92,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,83,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,94,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रस्तावित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्यों में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :–

1. प्रस्तावित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला-मनेन्द्रगढ़, के ज्ञापन क्र./त.अ./2025/1291 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 06 कि.मी. है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल 2247.5 वर्गमीटर 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भरण हेतु बोल्डर 5618.75 घनमीटर, ओवर बर्डन 2247.20 घनमीटर तथा ऊपरी मिट्टी 1123.75 घनमीटर की आवश्यकता होगी। रेस्टोरेशन हेतु अनुमानित लागत राशि रूपये 3,55,000/- होगी।

3. जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक - मेसर्स सिरखोला क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा) को ग्राम-सिरखोला, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) के खसरा क्रमांक 140 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-40,045 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स मरखोही क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री दुर्गाशंकर मिश्रा), ग्राम-मरखोही, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2556)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435370/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मरखोही, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी -भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता-23,314.2 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर, क्षमता-8,967 घनमीटर (23,314.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 09/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all

activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 117/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	478
2019–20	712
2020–21	451
2021–22	30
2022–23	25

समिति का मत है कि वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जनुवा का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023,

एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/02/2013 से 19/02/218 तक की अवधि हेतु दिया थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2005/451 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/03/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मरखोही 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मरखोही 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बनास नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,87,679 टन, माईनेबल रिजर्व 3,64,818 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,28,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (9 मीटर हिललॉक एवं सरफेस से 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 943 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,776.4	षष्टम	16,380.0
द्वितीय	13,501.8	सप्तम	17,791.8
तृतीय	14,040.0	अष्टम	20,553.0
चतुर्थ	14,898.0	नवम	21,309.6
पंचम	15,600.0	दशम	23,314.2

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बावत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा (खसरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल–2) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्री दुर्गाशंकर मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है, जिसमें से सतही भूमि से 333 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में नहीं किया गया है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना की लागत में क्रशर स्थापना की राशि सम्मिलित नहीं है। अतः समिति का मत है कि परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) अनुमति की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

8. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे–अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

10. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाए। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाए।

12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

14. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 676/ख.लि.–2/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022–23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

4. पत्थर उत्खनन एवं क्रेशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक 27/11/2009 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान खनि अधिकारी, जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1720/खनिज/खलि2/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 09/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

6. लीज क्षेत्र के चारो ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के उत्तर पूर्वी दिशा में उत्खनित क्षेत्र रकबा 333 वर्गमीटर पूर्व से था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण कर लिया गया है। अतः रिजर्व की गणना में संशोधन की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।

7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव कर लिया गया है। अतः रेस्टोरेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–मरखोही 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरचोका 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। बनास नदी 3 कि.मी. दूर स्थित है।

9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,967.5 घनमीटर है जिसे लीज क्षेत्र 7.5 सीमा पट्टी में भण्डारित किया जाएगा।

10. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.38 हेक्टेयर) पर 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 96,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये तथा अन्य खर्चे के लिए राशि 1,11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,86,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Markhohi**	
			Pavitra van Nirman	7.495
			Total	**7.495**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–मरखोही के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 525 नग पौधों के लिए राशि 52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये तथा अन्य खर्चे के लिए राशि 1,08,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,70,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,79,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जमुवा (आश्रित ग्राम मरखोही) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 122, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 654वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्र./त.अ./2025/1287 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 08 कि.मी. है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स मरखोही क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दुर्गाशंकर मिश्रा) को ग्राम–मरखोही, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 121 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–23,314 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी), ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2166)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400731/2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर (डोलोमाईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 526, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–6,540 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री ह्रषीकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्यौरा उनके क्रेशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।
5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।
8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।
9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।
10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।"

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/01/2023 के माध्यम से शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2023 को जानकारी/तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी. के ओ.ए. क्रमांक 117 ऑफ 2023, दिनांक 12/07/2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार E. Action Takes Report के बिन्दु क्रमांक 1 में "The report of the Revenue Department and Mining Department did not find any encroachment and illegal mining beyond the lease area in other two stone quarry's i.e. M/s Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha Village Hastinapur) and M/s Hrikesh Tiwari (Khasra No. 525, area 1.0 ha. Village, Domnapara)." तथा बिन्दु क्रमांक 4 में "Accordingly, in compliance of Environmental Rules, no further action is required." का उल्लेख है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 18/10/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरकेश तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलोमाईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल- 1.0 हेक्टेयर, क्षमता- 6,540 घनमीटर (17,004 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि हेतु वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   > "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/11/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/03/खनिज/उ.प./2022, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 17/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	1,172
2018	680
2019	150
2020	निरंक

2021	57

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भलौर का दिनांक 16/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोनमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला कार्यालय–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3588/खनिज/ 2017 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया–बैकुण्ठपुर, के ज्ञापन क्रमांक/438/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 खदान, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/439/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा के पश्चिमी भाग में लगभग 160 मीटर पर राज्यमार्ग अवस्थित है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री हरकेश तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2012 से 12/12/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2017 से 12/12/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./2012/637 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 30/05/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोमनापारा 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम–डोमनापारा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–खड़गवां 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 160 मीटर एवं राज्यमार्ग 170 मीटर दूर है। हसदेव नदी 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। सोनहाटी रिजर्व फारेस्ट 3 कि.मी. एवं हसदेव रिजर्व फारेस्ट 4 कि.मी. दूर है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,25,561 टन, माईनेबल रिजर्व 1,60,837 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,52,795 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी

मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर (7 मीटर हिलटॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,065	षष्टम	15,990
द्वितीय	13,650	सप्तम	16,263
तृतीय	14,235	अष्टम	16,536
चतुर्थ	14,820	नवम	16,809
पंचम	15,405	दशम	17,004

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत भलीर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 80 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है पौधों की संख्या में वृद्धि कर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – 336 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">2%</td><td rowspan="3">0.30</td><td colspan="2">Following activities at, Govt. Primary School Village- Khutapara</td></tr>
<tr><td>Rain water harvesting</td><td>0.65</td></tr>
<tr><td>Potabal drinking</td><td>0.30</td></tr>
</table>

			water facility	
			Running water facility for toilet	0.15
			Plantation in school	0.15
			Total	**1.25**

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/03/2025 एवं 26/03/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/196/खनिज/शिकायत/ 2024–25, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/03/2025 को प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार लीज क्षेत्र के बाहर अवैध पत्थर उत्खनन एवं भण्डारण करना नहीं पाये जाने का उल्लेख है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/631/खनिज/उ.प./ 2025–26, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 16/06/2025 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आंकड़ों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	वित्तीय वर्ष	उत्पादन मात्रा (घ.मी. में)
01	2022–23	278.00
02	2023–24	183.00
03	2024–25	00.00

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़, के ज्ञापन क्र./त.अ./2025/1153 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 06 कि.मी. है।

5. ऊपरी मिट्टी को 2017–18 एवं 2018–19 में ऊपरी मिट्टी की निकासी किया जाकर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा में रखा जाकर वृक्षारोपण किया गया है।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at, Govt. Primary School **Village-Khutapara**	
			Intalation of Rain water Harvestying	0.60
			Potable Drinking Water Facility	0.35
			Running water facility for toilets	0.15
			Plantation in School & Health Center Permises	0.15
			Total	1.25

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 800 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग एवं रख–रखाव के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 1,21,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,59,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 4,40,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया–बैकुण्ठपुर, के ज्ञापन क्रमांक/438/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 खदान, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स [illegible] स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री [illegible] तिवारी) को ग्राम–[illegible], तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर) के खसरा क्रमांक 525 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स [illegible] क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम–[illegible], तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2469)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428403/2023, दिनांक 24/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक

द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 01/08/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सरभोका, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक 215/1, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,646 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 26/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

    i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 215/1, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, क्षमता–1,402 घनमीटर (3,646 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 20/03/2022 की अवधि तक वैध थी।

    भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

    "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,

however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 20/03/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/उ.पो.अनु/2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	निरंक
2018-19	50
2019-20	175
2020-21	80
2021-22	60
2022-23	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत .... का दिनांक 20/08/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलॉग विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान का कव्हरिंग लेटर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनुमोदित क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री .... के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षो अर्थात दिनांक 20/12/2006 से दिनांक 19/12/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज क्षेत्र 20 वर्षो अर्थात दिनांक 20/12/2016 से 19/12/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2001/196 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 03/02/2001 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सल्मोका 300 मीटर, हसदेव नदी 8 कि.मी. एवं हल्फली नाला 1 कि.मी. दूर स्थित है। बालम्भ आरक्षित वन 3 कि.मी. एवं चिरईपानी संरक्षित वन 300 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,181 टन, माईनेबल रिजर्व 26,607 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,947 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,014.4 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ब्लॉक की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर एवं भू-तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,903.2	षष्टम	2,648.1
द्वितीय	2,059.2	सप्तम	2,983.5
तृतीय	2,145.0	अष्टम	3,307.2
चतुर्थ	2,265.9	नवम	3,646.5
पंचम	2,359.5	दशम	1,454.7

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 460 नग वृक्षारोपण किया जाना है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षों हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,014.4 वर्गमीटर है, जिसमें से 262.4 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 325 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण से गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at, **Village- Sarbhoka**	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	**2.98**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत सरभोका के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 215/4, क्षेत्रफल 0.546 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. अनुमोदित क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे–अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षो (80 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
9. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
11. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/12/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. अनुमोदित खदान प्लान के फारवर्डिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 02/02/2017 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. खदान से अस्पताल 600 मीटर, स्कूल 550 मीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. की दूरी पर है।

3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्ष 2006 में ही वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर दिया गया है। यह कि वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. इसलिए जारी की गई है कि लीज क्षेत्र से वन भूमि कई

किलोमीटर दूर है। इसी आधार पर एन.ओ.सी. जारी किया गया है। यह कि ई.सी. जारी होने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि वन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. मापदण्डों के मुताबिक जारी नहीं किया गया है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि जारी ई.सी. एवं लीज दोनों निरस्त कर दिया जावे इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। समिति का मत है कि अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बावत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बावत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

(ख) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 08/03/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. अनुमोदित क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 02/02/2017 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. खदान से अस्पताल 500 मीटर, स्कूल 550 मीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्ष 2008 में ही वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर दिया गया है। यह कि वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. इसलिए जारी की गई है कि लीज क्षेत्र से वन भूमि कई किलोमीटर दूर है। इसी आधार पर एन.ओ.सी. जारी किया गया है। यह कि ई.सी. जारी होने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि वन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. मापदण्डों के मुताबिक जारी नहीं किया गया है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि जारी ई.सी. एवं लीज दोनों निरस्त कर दिया जावे इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। समिति का मत है कि अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारो ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवित दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अद्यतन स्थिति में लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता), ग्राम–सिंगरौली, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2545)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेन्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 433314/2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिंगरौली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–1.9 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–68,679 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 26/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/06/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हारे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान समस्त दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत की गई थी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/02/2025 को अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर, क्षमता–26,415 घनमीटर (68,679 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2026 तक की अवधि हेतु वैध है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 98/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	1,360
2019–20	3,428
2020–21	2,619
2021–22	9,389
2022–23	4,155

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत सिंगरौली का दिनांक 26/05/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान एलाग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्र. 1049/खनिज/स्था./2015/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/08/2015 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे नदी, बांध, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड संबंधी विवरण –** यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता) के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात दिनांक 20/01/2017 से 19/01/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2014/1407 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 09/07/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 370 मीटर की दूरी पर है। आवेदित स्थल पर पेड़ की संख्या 1 है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिंगरौली 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरचोका 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। बनास नदी 5 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,16,800 टन, माईनेबल रिजर्व 10,60,254 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,54,228 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई (हिलटॉप) 6 मीटर है। हिलटॉप होने के कारण ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,223.60	षष्टम	52,644.80
द्वितीय	37,284.00	सप्तम	58,992.00
तृतीय	39,615.10	अष्टम	61,058.40
चतुर्थ	43,017.00	नवम	65,590.20
पंचम	49,575.50	दशम	68,679.00

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,526 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 1,52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 85,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 80,000 रूपये तथा अन्य खर्चों के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,67,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Singroli**	
			Pavitra van Nirman	4.56
			Total	**4.56**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–सिंगरौली के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 65,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,90,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिंगरौली के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 781, क्षेत्रफल 4.27 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 567वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़, के ज्ञापन क्र./त.अ./2025/1289 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 96 कि.मी. है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.9 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता) को ग्राम–सिंगरौली, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 601 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर, क्षमता–68,679 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. **मेसर्स तलवापारा ब्रिक्स अर्थवर्क्स क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री सुभाष चन्द साहू), ग्राम–तलवापारा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1687)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 247313/2021, दिनांक 25/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तलवापारा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56, कुल क्षेत्रफल–0.89 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 750 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष चन्द साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56, कुल क्षेत्रफल – 0.89 हेक्टेयर, क्षमता – 750 घनमीटर (ईंट उत्पादन 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अपूर्ण प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /1601/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2017	3,01,000

2018	5,00,000
2019	5,00,000
2020	4,50,000
2021	3,50,000

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ो में केवल ईंटो की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. **नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया का दिनांक 27/02/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 14/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1602/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1603/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 18/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेललाईन, नहर, भवन, स्कूल, मस्जिद, मरघट एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री सुभाष चन्द्र साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./166 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/02/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तलवापारा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–तलवापारा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 17,800 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 9,325 घनमीटर है। वर्तमान में माईनेबल रिजर्व 6,123 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 390 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.12 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	750	6,00,000
द्वितीय	750	5,00,000
तृतीय	750	5,00,000
चतुर्थ	750	5,00,000
पंचम	750	5,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 170 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at **Village- Talvapara**	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	**2.24**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए

राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये एवं स्व-स्वास्थ के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,24,100 रुपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तलवापारा के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 51/3, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. जिग-जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईंट निर्माण हेतु स्थापित किल्न चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त की पुष्टि हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत तलवापारा का दिनांक 14/05/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.क./1468 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6.41 कि.मी. की दूरी पर है।

5. भूमि खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56 श्री रमेश चन्द साहू एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री रमेश चन्द साहू का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. जिग–जैग किलन के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 1 टन कोयले की आवश्यकता होगी। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। अतः कोयले की आवश्यकता एवं उससे जनित फ्लाई ऐश के संबंध जानकारी गणना सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा। लीज क्षेत्र के भीतर फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर स्थापित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन मंगाया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु श्री रमेश चन्द साहू का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. कोयले की आवश्यकता एवं उससे जनित फ्लाई ऐश के संबंध जानकारी गणना सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हारे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /790/खनिज/उ.प./2023 बैकुण्ठपुर, कोरिया, दिनांक 22/03/2024 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन नग/घनमीटर में
2021-22	4,90,000 नग/980 घनमीटर
2022-23	निरंक

3. समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता 750 घनमीटर (ईंट निर्माण ईकाई 5,00,000 नग) का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की मात्रा के संबंध में प्रस्तुत जानकारी में वर्ष 2021-22 में 980 घनमीटर (4,90,000 नग) उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि उपरोक्त डाटा से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित क्षमता 750 घनमीटर के अनुसार वर्ष 2021-22 में की गई मिट्टी उत्खनन की मात्रा अधिक है, परन्तु ईंट निर्माण की संख्या 5,00,000 नग से कम है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये वास्तविक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 18/11/2021 को जारी प्रमाण पत्र में उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

5. भूमि खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56 श्री रमेश चन्द साहू, श्रीमती गुलाब बाई एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री रमेश चन्द साहू एवं श्रीमती गुलाब बाई का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रत्येक 1 लाख नग ईंट बनाने में 12 टन कोयले की मात्रा की लागत आती है। अतः इस उद्योग में प्रति वर्ष 3,75,000 नग ईंट उत्पादन किया जाता है फलस्वरूप प्रति वर्ष 45 टन कोयला लगता है एवं उससे जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5-6 प्रतिशत होता है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित क्षमता 750 घनमीटर के अनुसार वर्ष 2021-22 में की गई मिट्टी उत्खनन की मात्रा अधिक है, परन्तु ईंट निर्माण की संख्या 5,00,000 नग से कम है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये वास्तविक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 18/11/2021 को जारी प्रमाण पत्र में उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट

नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ई) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित क्षमता 750 घनमीटर के अनुसार वर्ष 2021–22 में की गई मिट्टी उत्खनन की मात्रा अधिक है, परन्तु ईंट निर्माण की संख्या 5,00,000 नग से कम है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये वास्तविक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 18/11/2021 को जारी प्रमाण पत्र में उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स बनाडोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कोमल प्रसाद पांडे), ग्राम–बनाडोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2641)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमूल्यन (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 440206 एवं 16/08/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 13/09/2023	

	जानकारी प्राप्ति दिनांक – 21 / 10 / 2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.152 हेक्टेयर एवं 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 911, 915 श्रीमती सरला पांडे खसरा क्रमांक 891, 893, 919 श्री बंशीलाल पांडे खसरा क्रमांक 892, 894, 920, 918 – श्री कोमल प्रसाद पांडे (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20 / 12 / 2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15 / 12 / 2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	–	श्री बंशीलाल पांडे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 क्षेत्रफल – 2.152 हेक्टेयर क्षमता – 2,200 घनमीटर / वर्ष दिनांक – 31 / 01 / 2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22 / 02 / 2038 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 250 नग किया गया है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है– वर्ष 2018–19 में 2,200 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 2,083 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 2,019 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 2,180 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 2,198 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनाडोंगरी दिनांक 18 / 10 / 2007 10 वर्ष हेतु पारित की गई थी।	ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना	दिनांक 25 / 10 / 2017	

अनुमोदन		
500 मीटर	दिनांक 04/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/08/2023	पक्की सड़क – 1.5 कि.मी. आबादी क्षेत्र – 1.5 कि.मी.
लीज डीड	लीज धारक – श्री कोमल प्रसाद पात्रे अवधि–23/02/2008 से 22/02/2038	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक – 10/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 16.03 कि.मी. अचानकमार टाईगर रिजर्व – 20.4 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – धनाडोंगरी 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – धनाडोंगरी 1.5 कि.मी. अस्पताल – सकरी 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 5 कि.मी. राज्यमार्ग – 3.50 कि.मी.	धोंधा नाला – 70 मीटर नहर – 200 मीटर तालाब – 2.5 कि.मी. एनीकट – 2.0 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व – जियोलॉजिकल 22,209 घनमीटर माईनेबल 20,362 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 1.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 0.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 0.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 40% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,100 घनमीटर तृतीय 2,200 घनमीटर चतुर्थ 2,200 घनमीटर पंचम 2,200 घनमीटर षष्ठम 2,095 घनमीटर सप्तम 1,810 घनमीटर अष्टम 1,785 घनमीटर नवम 1,690 घनमीटर दशम 1,560 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 825 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
लीज क्षेत्र के भीतर भट्ठा स्थापित	ईं. क्षेत्रफल – 3,418 वर्गमीटर चिमनी चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 33 मीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	

[illegible] dated 23.07.2025.docx

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 250 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 50 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,12,000 रुपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) प्रस्तुत किया जाए।
3. ईंट निर्माण हेतु जिग–जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 50 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग करवाकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

समिति की 539वीं बैठक दिनांक 26/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हारे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बंशी लाल साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनाडीगरी का दिनांक 06/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Charadongari**	
			Environmental Library Establishment for the School	0.50
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Plantation in School and Community Helth center premises	0.15
			Total	**0.80**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,600 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 5,000 रूपये तथा रख–रखाव एवं अन्य कार्य के लिए राशि 6,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 15,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समायोजन करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष में आवश्यक परिवर्तन करवाकर जिग–जैग तकनीक का उपयोग करते हुये ईंट का निर्माण कार्य किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 80 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया गया है।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संज्ञान किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत/स्कूल के प्रभारी से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में शामिल करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्ष 2023-24 के उत्पादन आंकड़े की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समायोजन करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् संबंधित संस्थानों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/03/2025 एवं 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/2586/ख.लि./न.क्र./2025, बिलासपुर, दिनांक 06/03/2025 द्वारा द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (घनमीटर में)
2023-2024	1,620
2024-2025	1,332

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समायोजन करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities	
			Rain Water Harvesting Structure Construction work in Chanadongri Govt. High School	0.60
			Running Water Facility for Toilet in Chanadongri Govt. High School	0.15
			Plantation in Govt. Primary School & Govt. High School	0.15
			Total	0.90

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय पूर्व मा. शाला के परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 500 रूपये तथा रख–रखाव एवं अन्य कार्य के लिए राशि 1,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् उक्त कार्यों हेतु ग्राम पंचायत चनाडोंगरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), के ज्ञापन दिनांक 04/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.182 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में

दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स धनाडोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कोमल प्रसाद पांडे) को ग्राम–धनाडोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.152 हेक्टेयर, क्षमता–2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स कुडेली ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.–श्रीमती प्रेमावती साहू), ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1883)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 249874/2021, दिनांक 23/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 760/1 एवं 760/2, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09 /2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/01/2024 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में मिट्टी खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 760/1 एवं 760/2, कुल क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर, क्षमता-1,200 घनमीटर (6,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा दिनांक 17/10/2017 को जारी की गई थी। जिसकी वैधता 5 वर्ष तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17/10/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 289 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 786/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	0.00 (भू-प्रवेश की अनुमति अप्राप्त होने

	के कारण उत्पादन नहीं किया गया)
2019	670.00
2020	145.00
2021	599.00
2022 दिसम्बर तक	114.00

समिति का मत है कि दिसम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुडेली का दिनांक 04/12/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3100/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 13/09/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 789/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 789/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती प्रेमवती साहू (आवेदक) के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 27/12/2017 से 26/12/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/तक.क./1343 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी 1 कि.मी. है। आवेदित खदान से निकटतम नेशनल पार्क / अभ्यारण्य की दूरी 10 कि.मी. है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुडेली 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,320 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,648 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 18,570 है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,000 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्टा स्थापित किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की सम्भावित आयु 18 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,200	षष्ठम	1,200
द्वितीय	1,200	सप्तम	1,200
तृतीय	1,200	अष्टम	1,200
चतुर्थ	1,200	नवम	1,200
पंचम	1,200	दशम	1,200

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.9 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 289 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at **Village-Kudeli**	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	**2.98**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा

आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुकेली के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 1042 क्षेत्रफल 7.94 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् लीज क्षेत्र के 1 मीटर में प्रयोजन के अनुसार वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में दिए गए बिन्दुवार जानकारी का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. दिसम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर को–आर्डिनेट के अनुसार बाउण्ड्री पिल्लर्स लगाये जाए तथा लीज क्षेत्र की सीमा पर तार फेंसिंग कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. [illegible] प्रस्तुत किया जाए।
4. [illegible] प्रस्तुत किया जाए।
5. [illegible] प्रस्तुत किया जाए।
6. कंपनी का सुरक्षित करने के लिए [illegible] (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. विकासनगर [illegible] दिनांक 25/02/2022 के [illegible] (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

[illegible] प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की आठवां बैठक दिनांक 22/07/2025:

समिति [illegible]

1. कार्यालय [illegible] ब्लॉक [illegible] देहरादून, [illegible] दिनांक 25/06/2024 [illegible] 2024 [illegible] है।
2. [illegible] प्रस्तुत किया गया है।
3. [illegible] प्रथम वर्ष [illegible] 1,54,920 रुपये हेतु [illegible] प्रस्तुत किया गया है।
4. [illegible]
5. [illegible]
6. कंपनी को सुरक्षित करने के लिए [illegible] (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. [illegible] (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. [illegible] सचिव/ [illegible]

[illegible]
dated 21.07.2025 [illegible]

आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 789/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स कुडेली बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.–श्रीमती प्रेमवती साहू) को ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 760/1 एवं 750/2 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर, क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–09** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स सेमरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अवध कुमार पाठक), ग्राम–सेमरा, तहसील–ओड़गी, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1837)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 228140/2021, दिनांक 04/10/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमरा, तहसील–ओड़गी, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 345/2, कुल क्षेत्रफल–1.39 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–22,356 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवध कुमार पाठक, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरा का दिनांक 06/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—कोरिया के ज्ञापन पृ. क्रमांक/1282/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1983/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1983/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, रेल लाईन, गुरुद्वारा एवं मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1357/गौण खनिज/न.क्र.03/2020—21 सूरजपुर, दिनांक 26/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू—स्वामित्व** — भूमि श्री बाबूलाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./122 सूरजपुर, दिनांक 12/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख नहीं है। अतः आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम—सेमरा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम—सेमरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 170 मीटर दूर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — जियोलॉजिकल रिजर्व 3,48,276 टन, माईनेबल रिजर्व 1,68,611 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,60,370 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी

(उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,913 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,493.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 7.5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	22,356
द्वितीय	22,356
तृतीय	22,356
चतुर्थ	22,356
पंचम	22,356

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत उपयोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनिज साधारण पत्थर श्रेणी का है। समिति का मत है कि प्रस्तावित खनिज साधारण पत्थर श्रेणी के अंतर्गत किस वर्ग का है, खनिज विभाग से प्रमाणित कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनिज साधारण पत्थर श्रेणी के अंतर्गत किस वर्ग का है, खनिज विभाग से प्रमाणित कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत उपयोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में

वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2022 एवं 20/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/01/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./804 सूरजपुर, दिनांक 23/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी 1.5 कि.मी. है। आवेदित खदान से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/586/खनिज/2024–25 सूरजपुर, दिनांक 08/11/2024 के अनुसार खनि निरीक्षक 6 (ब) प्रतिवेदन दिनांक 16/02/2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध गौण खनिज छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की अनुसूची–एक के भाग–ग के सरल क्रमांक 03 (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए पत्थर अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु) प्रतिवेदित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.02	2%	0.6204	Following activities at Nearby **Village-Semra**	
			Pavitra Van	1.18
			Total	**1.18**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (नीम, आम, आंवला, बड़ पीपल, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 74,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 49/1 एवं रकबा 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। खसरा क्रमांक 49/1 का भूमि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान के खसरा क्रमांक 49/1 का भूमि दस्तावेज बी-1, पी-2 प्रस्तुत किया जाए।

X उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स चिताझोर क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम—चिताझोर, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया (वर्तमान में तहसील—मनेन्द्रगढ़, जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2403)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/सीजी/एमआईएन/428141/ 2023, दिनांक 07/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—चिताझोर, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया (वर्तमान में तहसील—मनेन्द्रगढ़, जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल—0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—3,201 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—**
   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल—0.45 हेक्टेयर, क्षमता—1,231 घनमीटर (3,201 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/03/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 19/खनिज/उ.पी.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	माईनिंग प्लान में प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	969	निरंक
2018–19	1,074	निरंक
2019–20	1,159	200
2020–21	1,168	50
2021–22	1,189	40
2022–23	1,192	निरंक

2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में नगर पालिक निगम, चिरमिरी का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/20/खनिज/उ.पी.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/06/2012 से 24/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/06/2017 से 24/06/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./783 बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 04 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। समिति का मत है कि खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 76,200 टन, माईनेबल रिजर्व 29,004 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 28,103 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,826 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,519.4	चतुर्थ	3,100.5
द्वितीय	2,792.4	पंचम	3,198
तृतीय	3,014.7	षष्टम	3,201.9

चतुर्थ	3,038.1	नवम	2,542.8
पंचम	3,092.7	दशम	2,472.8

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at, **Village-Chitjhor**	
			Plantation around village Pond	0.48
			Total	**0.48**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (नीम, आम, अर्जुन, शीशम आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,200 रूपये तथा सिंचाई एवं रख रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 83,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,99,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे– निकटतम आबादी क्षेत्र, ग्राम, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव

के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम किलझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे- निकटतम आबादी क्षेत्र 2 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी., अस्पताल 2.5 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है।
2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,02,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,00,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चितखोर में एक भी तालाब नहीं होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पौधा रोपण का कार्य किये जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि आपके द्वारा ही पूर्व में ग्राम चितखोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) मंगाया जाना तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् कांक्रीट पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में ग्राम सिलहोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में ग्राम सिलहोर में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/09/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में सी.ई.आर. के प्रस्ताव में त्रुटिवश ग्राम चिरझोर के तालाब का उल्लेख हो गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at, Govt. High Sec. School **Village-Chirjhor**	
			Plantation around School Campus	2.704
			Total	**2.704**

सी.ई.आर. के अंतर्गत 'वृक्षारोपण' के तहत् (नीम, आम, अर्जुन, शीशम, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,200 रूपये, सिंचाई के लिए 12,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन न. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स चिरमिरी क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी) को ग्राम–चिरमिरी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 137/1 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर, क्षमता–3,201 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–10** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स केतका आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती ममता अग्रवाल), ग्राम–केतका, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2395)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/427322/ 2023, दिनांक 27/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केतका, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1757, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–4,761.0 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 498वीं बैठक दिनांक 08/11/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   - i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1757, कुल क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर, क्षमता-4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक वैध थी।
   - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3161/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
01/01/2017 से 31/12/2017	575	1,495
01/01/2018 से 31/12/2018	845	2,197
01/01/2019 से 31/12/2019	1,020	2,652
01/01/2020 से 31/12/2020	1,080	2,808
01/01/2021 से 30/09/2021	निरंक	निरंक
01/01/2022 से 31/12/2022		

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्ति दिनांक 16/03/2020 के उपरांत कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है। अतः समिति का मत है कि दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कंतका का दिनांक 26/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 716/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 27/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती ममता अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/12/2010 से 07/12/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/12/2020 से 07/12/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10/1078 अम्बिकापुर, दिनांक 09/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गूगल मैप से अवलोकन करने पर आवेदित भूमि से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी 42 कि.मी. है। अतः समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केंवरा 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–केंवरा 1.96 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.65 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 3.1 कि.मी., मौसमी नाला 2.6 कि.मी., तालाब 1.56 कि.मी. एवं नहर 9.35 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 78,726 टन (30,279 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 33,363 टन (12,832 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 30,026 टन (11,548 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 68557 टन (26,368 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 23,194 टन (8,920 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 20,874 टन (8,028 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,858 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया

जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,275.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,101 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 4,174.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 184/2, क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,386.8	षष्टम	3,393
द्वितीय	2,472.6	सप्तम	3,541.2
तृतीय	2,670.2	अष्टम	3,900
चतुर्थ	2,827.5	नवम	4,282.2
पंचम	3,116.1	दशम	4,761.9

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 618 नग वृक्षारोपण किया जाना है। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 468 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 46,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 52,000 रूपये, खाद के लिए राशि 30,900 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,06,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,34,700 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,23,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,655 वर्गमीटर है, जिसमें से 169 वर्गमीटर भाग 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः उचित उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु विस्तृत रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तो के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने बावत् स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.66	2%	0.27	Following activities at, **Village- Ketka**	
			Plantation around village Pond	0.50
			Total	**0.50**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) 25 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यो हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत केतका से सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 1424, रकबा 0.48 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यो में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउन्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

   i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

   ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख्ता गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

   iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

   iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

   v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

   vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

   प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.56 कि.मी. तथा नहर 9.35 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.95 कि.मी., अस्पताल 6.5 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.2 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–

   i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

   ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

   iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

   iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

   v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

   vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

   vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

   viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टरों द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जावेगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों की भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. अनुमोदित क्वारी प्लान में उल्लेखित लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने बाबत् स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/12/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1486/खनिज/उ.प./2023–24 सूरजपुर, दिनांक 22/02/2024 के अनुसार दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निरंक है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल जिला–सूरजपुर, के ज्ञापन क्र./मा.चि./7771 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर दूर है एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी 80 कि मी. है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की बाउंड्री के छूटे हुये 169 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 2 मीटर गहरे गड्ढे को 400 घनमीटर मुरूम व खराब पत्थर के द्वारा बैकफील किया जाएगा, जिसके पुनर्भरण हेतु अनुमानित कुल लागत राशि रूपये 33,750/– होगी।

4. अनुमोदित क्वारी प्लान में उल्लेखित लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र को ऑफिस, अस्थाई स्टोरेज एवं लेबर रूम हेतु उपयोग किया जाएगा। उक्त हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स बेलका आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती ममता अग्रवाल) की ग्राम–बेलका, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1757 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर, क्षमता–4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–11** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।</u>

1. मेसर्स बनकोम्बो ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.–श्री राकेश कुमार अग्रवाल), ग्राम–बनकोम्बो, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2883)

ऑनलाईन आवेदन–प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/454240/2023, दिनांक 04/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनकोम्बो, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 कुल क्षेत्रफल–3.451 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,000 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 17/07/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 667 वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं आर.क्यू.पी. श्री बी.डी. पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन खदान खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 कुल क्षेत्रफल–3.451 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,000 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता लीज अवधि (दिनांक 21/10/2039) तक है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन दिनांक 28/07/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	वर्ष	माईनिंग प्लान में वार्षिक उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)	DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)	उत्पादन (घ.मी. में)
1	2017 – 2018	2,000	2,000 (10 लाख नग)	960
2	2018 – 2019	2,000	2,000 (10 लाख नग)	1,629
3	2019 – 2020	2,000	2,000 (10 लाख नग)	92
4	2020 – 2021	2,000	2,000 (10 लाख नग)	338

5	2021 – 2022	2,000	2,000 (10 लाख नग)	310
6	2022 – 2023	2,000	2,000 (10 लाख नग)	1,270
7	2023 – 2024	2,000	2,000 (10 लाख नग)	540
8	2024 – 2025	2,000	2,000 (10 लाख नग)	830

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनकोम्बो का दिनांक 05/09/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान ऑफ प्रिक्स अर्थ माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3983/ख.लि.–2/2016 रायगढ़, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 717/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 27/11/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 716/ख.श./2023 जशपुर, दिनांक 27/12/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। ग्रामीण कच्चा सड़क 136 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री राकेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/10/2009 से 21/10/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/10/2014 से 21/10/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 138/2 एवं 140 श्री चेतन, खसरा क्रमांक 139/1 श्री रूद्रेश्वर यादव, खसरा क्रमांक 148 श्रीमती शोभा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 139/2 श्री राकेश अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/5365 जशपुर, दिनांक 08/10/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित भूमि से निकटतम वनक्षेत्र की दूरी 300 मीटर, निकटतम वन्यजीव अभ्यारण्य की दूरी 25 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 250 कि.मी. है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बनकोम्बो 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम–बनकोम्बो 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल–कुनकुरी 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग–10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग–22.65 कि.मी. दूर है। ईब नदी–650 मीटर, नाला–320 मीटर, तालाब–920 मीटर एवं नहर–1.30 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 69,020 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 58,663 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 53,687 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 66,550 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 57,183 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 51,217 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,700 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। प्रस्तावित ईंट का निर्माण में जिग–जैग (Zig-Zag) पद्धति का उपयोग किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। प्रति 1,00,000 नग ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यक होती है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,000	षष्ठम	2,000
द्वितीय	2,000	सप्तम	2,000
तृतीय	2,000	अष्टम	2,000
चतुर्थ	2,000	नवम	2,000
पंचम	2,000	दशम	2,000

13. **जल आपूर्ति**– परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 08 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** –लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 497 नग वृक्षारोपण किया जाना है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण एवं रख–रखाव के लिए प्रथम वर्ष हेतु राशि 5,05,945 रूपये तथा आगामी चार वर्षों हेतु राशि 10,28,980 रूपये (कुल राशि 15,34,925 रूपये) का घटकवार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है, जिसमें से पिट क्षेत्र 422 वर्गमीटर, 1 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। खुदी हुई सुरक्षा बाऊंड्री का पिट क्षेत्र को लगभग 844 घनमीटर मिट्टी एवं फ्लाई ऐश से 45 डिग्री स्लोप बनाते हुये बैकफिल किया जावेगा, इसके साथ ही बाऊंड्री के स्लोप को मजबूती प्रदान करते हुये 422 घनमीटर पत्थर का उपयोग करके बाऊंड्री स्लोप में 0.50 मीटर मोटा पिचिंग किया जावेगा। पुनर्भरण हेतु अनुमानित कुल लागत राशि 1,26,300/– रूपये होगी।

16. गैर माईनिंग क्षेत्र –लीज क्षेत्र में चिमनी स्थित होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 1,700 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54	2%	1.08	Following activities at, Govt. Middle School **Village- Bonkombo**	
			Installation of 1KW Solar System	1.10
			Total	**1.10**

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र में विद्यमान चिमनी किल्न को आवश्यक परिवर्तन करवा कर जिग–जैग टैक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ईंट निर्माण किया जाएगा। साथ ही जानकारी छः माह पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ईंट भट्ठे को जिगजैग टैक्नोलॉजी के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करवाने के पश्चात् ही ईंट बनाने की प्रक्रिया शुरू किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. पर्यावरण स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. भविष्य में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किये बगैर कोई भी उत्खनन कार्य एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित क्षेत्र की उत्खनित भाग को पुनः भरण कर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा नाम एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ सहित छः माह पालन प्रतिवेदन के साथ किया जाएगा।

24. आवेदित क्षेत्र के बाहर कोई भी उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 717/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 27/11/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.451 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. आवेदक - मेसर्स मेसर्स बनकोम्बो ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.- श्री राकेश कुमार अग्रवाल) को ग्राम-बनकोम्बो, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 138/2,139/1,139/2, 140 एवं 148 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.451 हेक्टेयर, क्षमता-2,000 टन (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-12** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

डॉ. प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	

श्री [illegible] प्रकाश मिश्रा	सदस्य [illegible]	
श्री [illegible] सिंह [illegible]	सदस्य [illegible]	
श्री [illegible]	सदस्य [illegible]	
श्री [illegible]	सदस्य [illegible]	
[illegible]	सदस्य सचिव [illegible]	

[illegible]

परिशिष्ट–अ

[illegible] (प्रो.– श्री [illegible])
को [illegible] खसरा क्रमांक 807/1, [illegible] रकबा 2.70 हेक्टेयर, ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible]
जिला–[illegible] में साधारण पत्थर ([illegible]) उत्पादन क्षमता–84,482 [illegible]
परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ लगने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा खुदाई के पूर्व पालन सुनिश्चित किया जाए।

1. [illegible] अधिकतम [illegible] अधिक नहीं होगी [illegible] जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] अधिसूचना, 2006 [illegible] के प्रावधानों के अनुसार [illegible]

3. [illegible] स्वीकृति [illegible]

4. [illegible] सस्टेनेबल [illegible] मैनेजमेंट [illegible] के अनुसार [illegible] में पूर्ण किया जाए।

5. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] किया जाए।

6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 20/02/2021 के अनुसार [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने [illegible] प्रबंधक को पर्यावरण अधिकारी नियुक्त करना है।

7. [illegible] की जाए।

8. [illegible] प्रक्रिया [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित [illegible]

[illegible] संस्था सहित द्वारा अधिसूचित [illegible] से [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

9. [illegible] पूर्व [illegible] आसपास (In the existing [illegible] operational) [illegible] प्रभावित (disturbed due to their mining activities) [illegible] एवं [illegible] किया जायेगा। [illegible] आदि [illegible] परियोजना [illegible] एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. [illegible] से [illegible] अनुमति प्राप्त की [illegible] विभाग से [illegible] अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी [illegible] / [illegible] / [illegible] से [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] कोई भी वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

12. [illegible] वायु प्रदूषण की [illegible] अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप [illegible] में परिसीमित [illegible] जाए।

13. परियोजना [illegible] का कार्य [illegible] किया जाए।

14. [illegible] 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई [illegible] / [illegible] नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। [illegible] की जा सकेगी।

15. [illegible] आवश्यकता [illegible] किया जाए।

16. [illegible] निर्धारित [illegible] रखा जाए। [illegible] किया जाए।

17. [illegible] एवं [illegible] सुनिश्चित [illegible]

[illegible]
[illegible] 23.06.2020 [illegible]

ऊँचाई 3 मीटर तथा कुल 28 [illegible] [illegible] हेतु [illegible] के [illegible] किया जाए।

18. [illegible] हेतु [illegible] किया जाए, [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

19. [illegible] हेतु [illegible] की जाए।

20. [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible] प्रस्ताव [illegible] किया जाए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Middle School, Village - [illegible] Rain Water Harvesting System	0.60
			[illegible] water supply for flushing and washing Toilets	0.20
			Total	0.80

22. सीईआर की [illegible] कार्य [illegible] पूर्ण किए जाएं। सीईआर [illegible] स्कूल [illegible] प्रशिक्षण [illegible] किया जाए। सीईआर कार्य की [illegible] सुनिश्चित [illegible] किया जाए।

23. [illegible] हेतु [illegible] जाए।

24. राज्य की नीतियों [illegible] के निर्माण के माध्यम से [illegible] का निर्माण भी [illegible] से कराना उसकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु [illegible] स्थानीय प्रजाति के [illegible] विकास [illegible] किया जाए।

26. [illegible] वर्ष 2025–26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर [illegible] के अनुसार [illegible] नीम, [illegible] सागौन, [illegible] इमली, [illegible] आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के [illegible] पौधों का रोपण [illegible] खनन के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये [illegible] किया जाए। [illegible] वन विभाग द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में [illegible] वृक्षारोपण किया जाए। [illegible] वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। [illegible] ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में क्रमांकन (Numbering) [illegible] जियो टैगिंग (Geotag) फोटोग्राफ [illegible] के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र [illegible] वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों की उत्तरजीविता (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों का प्रतिस्थापन (Mortality replacement) किया जाए। [illegible] प्रस्तुत करेंगे।

29. किये गये वृक्षारोपण का [illegible] डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एसईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.0 [illegible] में प्रस्तावित कार्य एवं सीईआर [illegible] नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति का निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना [illegible] के निर्माण हेतु आवश्यक [illegible] किया जाए। [illegible] 75.20% [illegible] 70.90% या अधिक नहीं होना चाहिए। [illegible] समय–समय पर [illegible] कराया जाए।

32. उत्खनन [illegible] किया जाए। [illegible] किया जाए।

33. [illegible] को [illegible] हेतु [illegible] की जाए कि [illegible] एवं [illegible] कोई नुकसान न [illegible]

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] के प्रावधानों, [illegible] के अनुसार [illegible] ।

35. कार्य स्थल पर [illegible] ।

36. श्रमिकों के लिए [illegible] सेफ्टी [illegible] आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय-समय पर [illegible] स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक है।

38. [illegible] किसी भी प्रकार का परिवर्तन [illegible] पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. यह पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] कानूनों / नियमों के पालन हेतु [illegible] है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ [illegible] अथवा [illegible] शर्तों के [illegible] का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] सूचना [illegible] होगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है [illegible] स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल [illegible] उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] ।

43. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] का पालन किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.   अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–12

मेसर्स [illegible] मिनरल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रो.– श्री मनोज कुमार खत्री को खसरा क्रमांक 61/1/21 ग्राम–[illegible]पाल, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल रकबा क्षेत्र 2.51 हेक्टेयर, मिट्टी [illegible] (ईंट मिट्टी) क्षमता – 1,500 घनमीटर (15,00,000 नग ईंटें) प्रतिवर्ष हेतु [illegible] की जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को [illegible] से पढ़ा जाये तथा इनका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि प्रस्ताव खनिज विभाग द्वारा अनुमोदित [illegible] आवश्यक न हो, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

2. उत्खनन क्षेत्र 2.51 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। [illegible] मिट्टी उत्खनन (ईंट मिट्टी) क्षमता [illegible] घनमीटर (15,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। खदान क्षेत्र के [illegible] सीमांकन [illegible]। खदान क्षेत्र के चारों ओर [illegible] की जायेगी।

3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाना। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय [illegible] नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) [illegible] के अनुसार [illegible] दिनांक [illegible] (टी.ओ.आर. [illegible])।

5. उपरोक्त प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से [illegible] जमाव का [illegible], [illegible] एवं [illegible] सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति [illegible] जाए।

6. [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] दिनांक [illegible]/08/2018 [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय [illegible] दिनांक [illegible]/08/2018 [illegible] 22/08/2018 [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

7. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। [illegible] किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

8. मिट्टी–ईंट पकाने हेतु [illegible] का उपयोग [illegible] का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. [illegible] के [illegible] पूर्व [illegible] (जैसे [illegible]) [illegible] एवं [illegible] [illegible] से [illegible] परिस्थिति में [illegible] किया जाए। [illegible] अथवा [illegible]

[illegible]
[illegible]

स्रोतों से किसी भी परिस्थिति [illegible] वापस [illegible] न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित [illegible] के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. [illegible] किया जाए। (प्रति [illegible])

11. [illegible] के विभिन्न [illegible] किया जाए। [illegible] संचालन [illegible] एवं अन्य [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

12. [illegible] वायु [illegible] अधिनियम, 1981 के तहत निर्दिष्ट [illegible] वायु की गुणवत्ता [illegible] वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित [illegible]

13. [illegible] किया जाए।

14. [illegible] की [illegible] के लिए [illegible] पानी का [illegible] किया जाए। [illegible] की [illegible] में [illegible] प्रभावित न करे, जिससे [illegible] आस-पास की [illegible]

15. [illegible] अथवा [illegible] किया जाए। [illegible] किया जाना [illegible] हेतु [illegible]

16. आवश्यकता [illegible] के [illegible] आस-पास की [illegible] एवं [illegible] हेतु [illegible] किया जाए। [illegible]

17. [illegible] किया जाए [illegible] आस-पास की [illegible] न हो। इसे [illegible] हेतु [illegible] की व्यवस्था की जाए।

18. [illegible] एवं [illegible] का परिवहन [illegible] किया जाए, [illegible] अथवा [illegible] से [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

[illegible]

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार [illegible] संस्था के अंतर्गत किया जाए।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	[illegible] Govt. Primary School Village-Tuleaghat	
			Water supply facility with maintenance including [illegible]	1.10
			Total	1.10

20. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित गतिविधियाँ 06 माह में [illegible] पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. [illegible] प्रतिवेदन [illegible] सी.ई.आर. कार्य के [illegible] किया जाए।

21. सी.ई.आर. हेतु प्रस्तावित कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु [illegible] प्रतिनिधि/प्रतिनिधि [illegible] छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय/प्रतिनिधि शामिल किया जाना आवश्यक है। [illegible] कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत [illegible] समिति को [illegible] जाए।

22. [illegible]

23. प्रस्तावित [illegible] 250 पेड़ का सघन वृक्षारोपण किया जाए [illegible] के अनुसार किया जाए।

24. भारत सरकार [illegible] वर्ष 2025-26 [illegible] 452 [illegible] नीम, पीपल, बरगद, [illegible] अर्जुन, [illegible] के पौधों का [illegible] किया जाए। [illegible] प्रस्तावित [illegible] जाती है।

25. दोहन किये जाने वाले गौणी खनिज में संलग्नता (Numbering) [illegible] करते हुये [illegible] जमा करें।

26. माईनिंग [illegible] के अंदर एवं [illegible] वृक्षारोपण किये जाने एवं [illegible] Residual soil [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] सुनिश्चित [illegible] (Partially implemented) किया जाए।

27. किये गये वृक्षारोपण की [illegible] हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) [illegible] एवं [illegible] सैटेलाइट [illegible] [illegible] (एम.ई.आई.ए.ए.) [illegible] प्रेषित किया जाए।

28. [illegible] जाएँ।

29. उत्खनन क्षेत्र में [illegible] न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

30. [illegible] न हो।

31. [illegible] सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग [illegible] 2016 के प्रावधान, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुरूप किया जाए।

32. [illegible] जाएं।

33. श्रमिकों के लिए [illegible] स्थल पर स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, [illegible] आदि का [illegible] द्वारा की जाए।

34. श्रमिकों का समय-समय पर [illegible] आवश्यक है।

35. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति किसी [illegible] कानूनों/नियमों के पालन हेतु [illegible] करता है।

36. [illegible] अनुमोदित [illegible] किया जाए।

37. [illegible] है।

38. [illegible]

[illegible]

स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

42. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

43. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

परिशिष्ट—02

मेसर्स [illegible] (प्रो.— श्री [illegible]) के खसरा क्रमांक 48/2, 48/3, [illegible] एवं 48/8, ग्राम—[illegible], तहसील—[illegible], जिला—मुंगेली, कुल क्षेत्रफल [illegible] हेक्टेयर, [illegible] (पत्थर [illegible]) क्षमता—1,000 घनमीटर प्रति [illegible] निर्माण इकाई 10,00,000 रुपये, [illegible] हेतु पर्यावरण स्वीकृति [illegible] शर्तें

[illegible] स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से [illegible] तथा [illegible] के [illegible] पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खसरा [illegible] विभाग द्वारा [illegible] किसी [illegible] में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. [illegible] से अधिक नहीं होगा। [illegible] — 1,000 [illegible] 10,00,000 रुपये [illegible] नहीं होगा। [illegible] की सीमा का [illegible] कराकर [illegible] लगाया जाए। [illegible] किया जाए।
3. [illegible] (Activity) नहीं किया जाए। [illegible] (Activity) [illegible] कार्यवाही की जाएगी।
4. [illegible] राज्य सरकार के [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) [illegible] अनुमोदित [illegible] में [illegible] वर्ष [illegible] दिनांक [illegible]/2048 तक होगा [illegible]।
5. [illegible] जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] दिनांक [illegible]/20[illegible] के अनुसार [illegible] 15 [illegible] किया जाए। [illegible] वन और जलवायु परिवर्तन, [illegible] दिनांक [illegible]/02/20[illegible] के [illegible] दिनांक [illegible]/02/2022 में [illegible] सुनिश्चित किया जाए।
7. [illegible] नहीं होगी। [illegible] प्रक्रिया [illegible] के [illegible] किसी भी [illegible] नहीं किया जाए।
8. [illegible] किया जाए [illegible] सुनिश्चित किया जाए।
9. [illegible] किया जाए। [illegible] के [illegible]

[illegible]

के लिये [illegible] की व्यवस्था [illegible] जाए [illegible] स्थापित [illegible] अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10 [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] देने के उपरान्त [illegible] करने की [illegible] अनुमति [illegible] किया जाए। [illegible]

11 [illegible] किया जाए।

12 [illegible] से [illegible] वायु [illegible] की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं [illegible] के अनुरूप [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] जाए। [illegible]

13 [illegible] किया जाए।

14 [illegible] समय-समय पर [illegible] का छिड़काव किया जाए [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible]

15 [illegible] वृक्षारोपण [illegible] किया जाए।

16 [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible] किया जाए।

17 [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible]

18 [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

[illegible]
[illegible] 2025 [illegible]

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible] के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village- Jamundi	
			Pavitra Van Nirman	7.80
			Total	7.80

20. सी.ई.आर. के [illegible] सी.ई.आर. [illegible] सुनिश्चित [illegible]

21. सी.ई.आर. के [illegible]

22. सी.ई.आर. एवं [illegible] कार्य की मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि—पक्षीय समिति [illegible]

23. [illegible] की होगी।

24. [illegible]

25. [illegible] के अनुसार [illegible], पीपल, नीम, [illegible], आम [illegible] सुरक्षित रखने के लिये [illegible]

[illegible]

निर्धारित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए, वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

26. [illegible] (Numbering) [illegible] के [illegible] करते हुये [illegible] के [illegible]

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर कराए गए वृक्षारोपण किये गये एवं जीवित पौधों का उपग्रहीय डेटा (Satellite data) [illegible] के [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible] वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित [illegible] (Monthly [illegible]) किया जाए।

28. [illegible] की [illegible] जीपीएस (Differential Global Positioning System) [illegible] कोऑर्डिनेट्स [illegible] निर्धारित करते हुये [illegible] राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाए।

29. [illegible]

30. खदान क्षेत्र में [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

31. खदान की [illegible] सुनिश्चित [illegible] ग्रामीणों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

32. [illegible] 2013 [illegible] किया जाए।

33. कोई स्थल पर यदि [illegible] के [illegible] संबंधी परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। [illegible] के पश्चात [illegible] जा सके।

34. [illegible] आदि की [illegible] जाए।

35. परियोजना का समय-समय पर [illegible] आवश्यक है।

36. [illegible] किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने [illegible] राज्य एवं केंद्रीय [illegible] करना है।

37. खदान की [illegible] के अनुरूप [illegible] के अनुमोदन [illegible] किया गया।

38. एसईआईएए, उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रभाव की [illegible] आवश्यकता में परियोजना [illegible] निर्धारित शर्तों के क्रियान्वयन [illegible] किसी [illegible] नई शर्तें जोड़ने अथवा [illegible] / [illegible] को [illegible] सुरक्षित रखती है।

39. परियोजना [illegible] उल्लेखनीय है कि [illegible] को [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] उपलब्ध है। [illegible] इसको [illegible] वेबसाइट [illegible].nic.in पर भी देखा जा सकता है।

40. [illegible] किया जाए।

41. [illegible] क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] पर्यावरण [illegible] [illegible] परिवर्तन मंत्रालय, [illegible]।

42. एसईआईएए, उत्तराखण्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तराखण्ड [illegible] के विशेषज्ञों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में [illegible] सहयोग [illegible]। [illegible] शर्तों का अनुपालन [illegible] पाये जाने पर [illegible]।

43. परियोजना [illegible] शर्तों का [illegible] जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, [illegible] वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, [illegible] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, [illegible] तथा इसके तहत बनाये गये नियम, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा [illegible] अधिनियम, [illegible] के अधीन [illegible] जा सकता है।

44. [illegible] परियोजना [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र के संबंध [illegible] विवाद में कोई भी [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की [illegible] प्रति [illegible] किया [illegible] कि एसईआईएए, उत्तराखण्ड द्वारा [illegible] शर्तों की उपयुक्तता [illegible] निर्णय ले सके। [illegible] में कोई भी विवाद [illegible] एसईआईएए, उत्तराखण्ड / [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] की [illegible] नहीं किया जाए।

[illegible]

45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

परिशिष्ट–04

मेसर्स सिलसोला अभय [illegible] (प्रो.– श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा)
को खसरा क्रमांक 140, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible] में स्थित [illegible] में पत्थर (गौण खनिज) क्षमता 43,040 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

[illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] के अधीन [illegible] इन शर्तों को [illegible] ध्यान से [illegible] तथा [illegible] पालन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] हेक्टेयर [illegible] खनिज [illegible] विभाग द्वारा [illegible] क्षमता [illegible] 43,040 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। [illegible]
2. [illegible] दिनांक 20/03/20[illegible] तक [illegible]।
3. [illegible] खनन [illegible] परियोजना [illegible] तथा [illegible] जाए।
4. [illegible] पालन [illegible]।
5. पूर्व में [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में [illegible] प्रतिवेदन प्राप्त कर [illegible] किया जाए।
6. [illegible] आदेश दिनांक [illegible] के [illegible] सुनिश्चित [illegible] परियोजना प्रस्तावक को [illegible] है।
7. परियोजना प्रस्तावक [illegible] की [illegible] एवं [illegible] व्यवस्था [illegible]।
8. [illegible] प्रक्रिया [illegible] किया जाए। [illegible] किसी [illegible] किया जाए। [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा [illegible] के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

[illegible]

9. [illegible] (post mining / existing mining operations) [illegible] (strata [illegible] due to the [illegible] mining activities) [illegible] (reclamation/engineering) [illegible]

10. भूजल का उपयोग हेतु केन्द्रीय भूजल [illegible] पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही [illegible] उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. [illegible] किया जाए। [illegible] प्रदूषण नियंत्रण [illegible] किया जाए [illegible] नियमित रूप से किया जाए। [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

12. [illegible] 1986 एवं [illegible] किया जाए। [illegible] नहीं होनी चाहिए।

13. [illegible] उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. [illegible] नहीं किया जाए [illegible]

15. [illegible] उपयोग हेतु [illegible] बाहरी [illegible] किया जाए।

16. [illegible] किया जाए।

17. [illegible] किया जाए। [illegible] तथा [illegible] 20 [illegible] है। [illegible] किया जाए।

18. जहाँ तक [illegible] एवं अन्य [illegible] के [illegible] [illegible] अथवा [illegible] किया जाये।

19. [illegible] सुनिश्चित [illegible] [illegible] मार्ग [illegible] तथा [illegible] [illegible]।

20. [illegible] का परिवहन [illegible] किया जाए, [illegible] का परिवहन [illegible] के [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible] 2% [illegible] [illegible]

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Planting activities at Village-Ghani	
			[illegible] Van Nirman	2.3875
			Total	2.3875

22. [illegible] सीईआर [illegible] [illegible] किया जाये। सीईआर कार्य को [illegible] सुनिश्चित [illegible] [illegible] स्वीकृति [illegible] जायेगी।

23. सीईआर [illegible] [illegible] 20,000 रूपये, [illegible] 1,25,000 रूपये [illegible] 1,25,000 रूपये [illegible] किया गया है। [illegible] 130, [illegible] में प्रस्तुत [illegible]।

24. सीईआर [illegible] समिति [illegible] समिति के [illegible] जाये।

25. [illegible] निरीक्षण [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

26. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

27. प्राथमिकता के आधार पर [illegible] [illegible] द्वारा वर्ष 2025–26 में [illegible] से [illegible] 200 [illegible] एग्रो-क्लाइमेटिक जोन के अनुसार बड़, पीपल, नीम, महुआ, जामुन, शीशम, इमली, अर्जुन, सीताफल आदि [illegible] स्थानीय प्रजातियों के साथ [illegible] पौधों का रोपण [illegible] [illegible] किया जाए। रोपण को सुरक्षित करने के लिये [illegible] एवं [illegible] कांटेदार तार [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] संबंधित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] वृक्षारोपण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण [illegible] [illegible] स्वीकृति [illegible] [illegible] की जा सकती है।

28. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Geo-tag) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करें।

29. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वृक्षारोपण [illegible] [illegible] [illegible] (Mortality replacement) किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] होगी।

30. [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होगी।

32. परियोजना [illegible] [illegible] DB(A) [illegible] DB(A) से अधिक नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

33. [illegible] [illegible] वन्य जीव [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाए।

[illegible]
Date: 24.07.2025 [illegible]

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को कोई नुकसान न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन प्लान [illegible] को प्राथमिकता पर पालन किया जाए।

36. खदान स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक खदान पर लगाये जाते हैं तो उन श्रमिकों के आवास एवं सुविधा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल, विश्रामगृह, प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर आयोजित किया जाना सुनिश्चित हो।

39. उत्खनन की [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति में अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित योजना के अनुरूप ही किया जाए। किसी भी उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं तकनीक, [illegible] में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन, [illegible] राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी भी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति या अधिकार प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह केवल [illegible] जिससे किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा [illegible] के अधिकार अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकरणों / विभागों से अनुमति प्राप्त करना है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति, [illegible] परियोजना की व्यवस्था में परिवर्तन [illegible] किसी भी शर्त के उल्लंघन/ अवहेलना [illegible] / निरस्त करने या शर्तों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] इस पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति [illegible] छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से [illegible] है तथा इसकी प्रति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर देखा जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट [illegible] क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. [illegible] क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, [illegible] द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। [illegible] परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

परिशिष्ट—05

मैसर्स मल्लांगी सागर स्टोन क्वारी [illegible] खसरा नम्बर 121, कुल लीज क्षेत्र 1.8 हैक्टेयर, ग्राम—[illegible], तहसील—[illegible], जिला [illegible] में [illegible] में पत्थर लीज [illegible] उत्पादन 22,814 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] (लीज क्षेत्र) 1.8 हैक्टेयर [illegible] शासन, [illegible] शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र [illegible] हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार [illegible] के सापेक्ष [illegible] उत्पादन 22,814 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। [illegible] का सीमांकन [illegible] जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] खनन [illegible] की [illegible], [illegible] के अनुसार [illegible] खनन योजना में [illegible] परिवर्तन [illegible] दिनांक 10/02/2043 तक होगा (जो भी पहले हो)।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल [illegible] जानकारी [illegible] आदि) प्रदर्शित [illegible]
4. [illegible] एवं [illegible] स्थापित [illegible] की [illegible] 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. दी जा रही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में [illegible] पालन [illegible] की [illegible] सुनिश्चित किया जाए।
6. माननीय [illegible] के आदेश दिनांक [illegible] के अनुपालन में [illegible] द्वारा [illegible] एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को [illegible] नियुक्त करना है।
7. [illegible] के [illegible] एवं [illegible] (जो [illegible]) का [illegible] एवं [illegible] किया जाए।
8. [illegible] एवं [illegible] किसी भी प्रकार का दूषित जल का [illegible] नहीं अथवा [illegible] किसी भी [illegible] में निस्तारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में [illegible] हेतु [illegible] किया जाए। [illegible] दूषित जल के उपचार के [illegible] हेतु [illegible] की व्यवस्था की जाए [illegible] किसी भी [illegible] में निस्तारित नहीं किया जाए। [illegible] में [illegible] हेतु भी व्यवस्था की जाए। [illegible] दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित [illegible] अथवा [illegible] प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अधिसूचित मानकों (जो भी [illegible] हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. अवैध [illegible] पत्थर खनन [illegible] (illegal crushing, mining operations) [illegible] किसी भी [illegible] (illegal [illegible]) [illegible] (engineering) [illegible] प्रस्तुत किया जाए।

10. भूजल के उपयोग हेतु केंद्रीय भूजल [illegible] से [illegible] करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत के [illegible] की स्थिति में संबंधित विभाग से [illegible] पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] किया जाए [illegible] का निर्माण [illegible] किया जाए। [illegible] सड़क एवं अन्य [illegible] कनेक्टर [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] किया जाए।

12. [illegible] 1983 [illegible]

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के बाद [illegible] फेंसिंग का कार्य किये जाने का [illegible] किया जाए।

14. [illegible] 7.5 [illegible] नहीं किया जाए [illegible]

15. [illegible] के दौरान [illegible] भूमि की पुनः [illegible] किया जाए।

16. [illegible] किया जाए। [illegible]

17. [illegible] एवं [illegible] की [illegible] प्रभाव न [illegible] से अधिक न हो [illegible] वैज्ञानिक तरीके से [illegible] किया जाए।

18. [illegible] सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible] की व्यवस्था की जाए।

20. [illegible] परिवहन [illegible] वाहन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) [illegible] किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	Cost/Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village-[illegible] Panchayat Bhawan [illegible]	[illegible]
			Total	[illegible]

22. सी.ई.आर. के तहत् [illegible] सुनिश्चित करना [illegible] होगा। [illegible]

23. [illegible] प्रथम वर्ष [illegible] 4 वर्ष में कुल [illegible] प्रस्तुत किया गया [illegible] पूर्ण करें।

24. [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

[illegible]

25 अब भी निर्माण स्तर/परियोजना निर्माण हेतु स्थल पर [illegible] से निर्माण के साथ–साथ [illegible] गतिविधियां [illegible] से [illegible] आपकी जिम्मेदारी होगी।

26 वृक्षारोपण हेतु [illegible] 2.5 मीटर [illegible] स्थानीय प्रजाति के [illegible] विकास [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

27 प्राधिकरण के आधार पर [illegible] द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 250 [illegible] बरगद, पीपल, [illegible], बांस, आम, इमली, महुआ, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 [illegible] पौधों का रोपण (कुल 1,250 [illegible]) [illegible] के रूप में किया जाए। पौधों को सुरक्षित रखने के लिये समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा [illegible]) किया जाए। [illegible] उपलब्ध नहीं होने की दशा में [illegible] के अनुसार वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण [illegible] किया जाए [illegible] पौधों का [illegible] किया जाए। [illegible] नहीं करने पर [illegible] स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

28 [illegible] पौधों में [illegible] (Numbering) [illegible] पौधों की [illegible] करते हुये [illegible] में प्रस्तुत करें।

29 [illegible] पौधों [illegible] (Mortality replacement) किया जाए [illegible] आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30 [illegible] (Differential Global Positioning System) एवं [illegible] किया जाए।

31 परियोजना [illegible] की [illegible] जाएगी।

32 परियोजना [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] D2(?) [illegible] से अधिक नहीं [illegible] जाए।

33 वर्तमान [illegible] के [illegible] में [illegible] किया जाए। [illegible]

३४. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कार्यस्थिति [illegible] की [illegible] वस्तुओं का कोई [illegible] न [illegible]। क्षेत्र में पाये जाने वाले पुरातात्विक कलाकृतियों एवं जीव-जन्तुओं के संरक्षित [illegible] [illegible] [illegible]।

३५. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बेल्ट का विकास छत्तीसगढ़ ग्रीन बेल्ट [illegible] 2015 के मापदण्डों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पालन किया जाए।

३६. जहां स्थल पर भारी मशीनरी संबंधी कार्य पर लगाये जाते हैं या ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु [illegible] [illegible] [illegible] व्यवस्था की जाएगी। [illegible] व्यवस्था अस्थायी [illegible] [illegible] रूप में की जाती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

३७. श्रमिकों के लिए [illegible] स्थल पर [illegible] [illegible] चिकित्सकीय सुविधा, [illegible] [illegible] आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

३८. श्रमिकों का स्वास्थ्य-परीक्षण पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आवश्यक है।

३९. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible], वन एवं जलवायु परिवर्तन [illegible], भारत सरकार को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

४०. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] राज्य, स्थानीय कानून / [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] करता है।

४१. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की पुष्टि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पालन न करने की दशा में दिए गए [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / निरस्त करने का और [illegible] [illegible] का अधिकार सुरक्षित रखता है।

४२. परियोजना प्रस्तावक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कि परियोजना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रकाशित [illegible] [illegible] स्वीकृति [illegible] [illegible] [illegible] दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ [illegible], छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] ही इसका [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पर भी [illegible] [illegible] है।

४३. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही का [illegible] [illegible] [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] मण्डल, [illegible] [illegible] [illegible] कार्यालय, छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] मण्डल, [illegible], [illegible], छत्तीसगढ़ एवं [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को प्रेषित किया जाए।

४४. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], वन एवं जलवायु परिवर्तन [illegible], भारत सरकार, [illegible] [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति में [illegible] शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन [illegible], भारत सरकार, [illegible] को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। उत्पादन में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

परिशिष्ट–[illegible]

[illegible] क्वारी (प्रो.– श्री [illegible] तिवारी)

[illegible] कुल रकबा 1 हेक्टेयर, ग्राम–[illegible], तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (वर्तमान में जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) में पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन [illegible] हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों का [illegible] पालन सुनिश्चित किया जाए।

1. [illegible] स्वीकृति [illegible] (लीज क्षेत्र) [illegible] बोर्ड [illegible] किया जाए।
2. [illegible] भारत सरकार [illegible] योजना में [illegible] (क्रमांक [illegible])
3. परियोजना [illegible] लीज क्षेत्र के [illegible] नाम, [illegible] रकबा, [illegible] अवधि [illegible] जाए।
4. [illegible] किया [illegible]।
5. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में [illegible] किये गये [illegible] प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय [illegible] दिनांक [illegible] के [illegible] सुनिश्चित [illegible] जाने हेतु [illegible] प्रस्तावक को [illegible]।
7. परियोजना [illegible] की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. [illegible] किया जाए।

[illegible]

9. यदि [illegible] (prior existing mining operations) [illegible] (disturbed due to prior mining activities) हुए हैं, उनके [illegible] (e.g. [illegible]) [illegible] किसी एक किया जाए, जिसमें [illegible] आदि [illegible] प्रस्तुत किया जाए।

10. [illegible] जाए।

11. किसी [illegible] / [illegible] / [illegible] 50 [illegible] / [illegible] किया जाए। [illegible] वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु [illegible] किया जाए। [illegible] किया जाए।

12. खदानों, [illegible] एवं अन्य [illegible] वायु प्रदूषण [illegible] अधिनियम, 1981 [illegible] किया जाए। [illegible] नहीं होनी चाहिए।

13. [illegible] जाए।

14. [illegible] 7.5 मीटर की चौड़ी [illegible] / [illegible] नहीं किया जाए [illegible] इस [illegible] में [illegible] किया जाए। [illegible] किसी भी [illegible] प्रभाव [illegible]।

15. [illegible] किया जाए।

16. [illegible] निर्धारित स्थान पर [illegible] रखा जाए। [illegible] नहीं किया जाए। [illegible] के लिए किया जाए।

17. [illegible] एवं [illegible] स्थल पर [illegible] किया जाएगा [illegible] किया जाए।

[illegible] dated [illegible]

18. जहाँ तक संभव हो [illegible] एवं [illegible] / [illegible] (जैसे [illegible]) को [illegible] की [illegible] में [illegible] हेतु [illegible] किया जाए, [illegible] सुनिश्चित किया जाये।

19. [illegible] सुनिश्चित किया जाए कि [illegible] के कारण आस-पास के [illegible] प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु [illegible] तथा [illegible] में [illegible] / [illegible] की व्यवस्था की जाए।

20. [illegible] सुनिश्चित किया जाये।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible] किया जाये।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18	2 %	1.35	Following activities at Govt. Primary School Village [illegible]	
			Installation of Rain water harvesting	0.65
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running water facility for toilets	0.[illegible]5
			Plantation in School & Health Care Premises	0.[illegible]5
			Total	1.35

22. [illegible] सुनिश्चित [illegible] किया जायेगा।

23. [illegible] एवं [illegible] कार्य के [illegible] हेतु [illegible] / [illegible] के [illegible] / [illegible] आवश्यक है। साथ ही [illegible] एवं [illegible] का कार्य पूर्ण किये जाने के [illegible] समिति से [illegible] जाए।

25. [illegible] [illegible] / अधिकारी [illegible] हेतु [illegible] पर आएं, तब उन्हें [illegible] / [illegible] / [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] का [illegible] भी [illegible] [illegible] [illegible]

26. [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्थानीय प्रजाति के 250 [illegible] [illegible] का सघन वृक्षारोपण प्रत्येक वर्ष किया जाए, [illegible] [illegible] विकास केन्द्रीय [illegible] [illegible] बोर्ड की [illegible] के अनुसार किया जाए।

27. [illegible] के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025–26 में कम से कम 200 [illegible] प्रति हेक्टेयर खनन क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, जैतून आदि [illegible] स्थानीय प्रजातियों के 200 [illegible] पौधों का रोपण (कुल 1,000 [illegible] पौधे) खदान के [illegible] क्षेत्र में किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] संबंधित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] प्रत्येक वर्ष में [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] 3 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने [illegible] [illegible] [illegible] स्वीकृति [illegible] निरस्त की जा सकती है।

28. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] (Monitoring) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करते हुये [illegible] (Sealing) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में प्रस्तुत करें।

29. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सघन वृक्षारोपण [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए [illegible] [illegible] [illegible] (Mortality replacement) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पौधों के [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

30. [illegible] [illegible] वृक्षारोपण की [illegible] हेतु [illegible] [illegible] (Differential Global Positioning System) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

31. [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित खनन एवं [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्वीकृति का निरस्त करने की कार्यवाही की [illegible]।

32. [illegible] जाए।

33. [illegible] [illegible] [illegible] स्तर के [illegible] [illegible] [illegible] में भी [illegible] [illegible] [illegible] प्रक्रिया [illegible] स्तर से [illegible] [illegible] भी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्तर [illegible] [illegible] न [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाए।

[illegible] [illegible] dated 22.03.2025.docx

33. खदान की सीमा इस प्रकार सुनिश्चित की [illegible] किसी [illegible] कोई नुकसान न [illegible] एवं [illegible] वस्तुओं का [illegible] संरक्षण प्राप्त [illegible] हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] का उल्लंघन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधान, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के [illegible] माईन्स रूल्स 1955 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. [illegible] श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा [illegible] द्वारा की जायेगी। [illegible] के मद्देनजर बनाए जा सकें।

36. श्रमिकों के लिए [illegible] पर [illegible] पेयजल, [illegible] सुविधा, [illegible] की व्यवस्था [illegible] आवश्यक रूप से की जाए।

37. श्रमिकों [illegible] है।

38. खदान की [illegible] एवं अनुमोदित उत्खनन योजना [illegible] वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन [illegible] की गयी, इस [illegible] है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन [illegible] की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. [illegible] किसी [illegible] अथवा अन्य संपत्ति पर [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा [illegible] केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के [illegible] हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण [illegible] की पुष्टि के, परियोजना के [illegible] अथवा [illegible] शर्तों [illegible] किसी भी [illegible] निरस्त / [illegible] को [illegible] हो सकता है।

41. परियोजना प्रस्तावक [illegible] स्थानीय समाचार पत्रों में [illegible] कि परियोजना स्थल के आस–पास [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के [illegible] दिनों के भीतर इस आशय का [illegible] किया जायेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] उपलब्ध है [illegible] [illegible] से भी [illegible] है।

42. [illegible] पर्यावरण संरक्षण मण्डल, [illegible] कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण [illegible] एसोसिएशन, [illegible] छत्तीसगढ़ एवं [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] प्रस्तुत [illegible] किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के [illegible] की मॉनिटरिंग की [illegible] हेतु [illegible] [illegible] पूर्व [illegible]

[illegible]

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

मेसर्स श्री ज्वालामुखी [illegible] (प्रो.— श्री [illegible] गुप्ता),

[illegible], [illegible] हेक्टेयर, ग्राम—[illegible], तहसील—[illegible], जिला—कोरिया में [illegible] हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी अतिरिक्त शर्तें

[illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] शर्तों [illegible] की गई है, [illegible] शर्तों का [illegible] से [illegible] तथा [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

1. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] [illegible] [illegible] नहीं [illegible] [illegible] [illegible]

2. पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] भारत सरकार के [illegible] वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (एवं संशोधित) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] जाए।

4. [illegible] हेतु प्रस्तुत [illegible] [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

5. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में [illegible] किये गये कार्यों का [illegible] [illegible] के [illegible] करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

6. माननीय [illegible] के आदेश दिनांक 23/08/2021 के अनुसार [illegible] [illegible] शर्तों के पालन सुनिश्चित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

7. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] यदि कोई हो, के [illegible] की उचित एवं [illegible] व्यवस्था की जाए।

8. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं [illegible] जाए, [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं [illegible] [illegible] [illegible] नहीं किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा अधिसूचित [illegible] के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

[illegible] 28/07/2025 [illegible]

9. यदि [illegible] (after ceasing mining operations) [illegible] गतिविधियों के कारण [illegible] (degradation due to other mining activities) हुए है, उनकी [illegible] (regrassing) [illegible] का [illegible] इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह भाग, [illegible] आदि के [illegible] हेतु [illegible] सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित [illegible] किया जाए।

10. [illegible] की जाए।

11. [illegible] / [illegible] / [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

12. [illegible] संरक्षण अधिनियम, [illegible] एवं [illegible] के [illegible] भारत सरकार के पर्यावरण, वन [illegible] से अधिक नहीं होना चाहिए।

13. [illegible] प्रबंधक द्वारा [illegible] किया जाए।

14. [illegible] मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई [illegible] नहीं [illegible] किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर [illegible] सकेगी।

16 [illegible] प्रक्रिया के [illegible] किया जाए।

16. [illegible] प्रस्ताव अनुसार [illegible] किया जाए। [illegible] किया जाए।

17. [illegible] किया जाए।

[illegible]

18. [illegible] हेतु लागू किया जाए [illegible]

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि [illegible] के आस-पास के [illegible] की पूर्ति की जाए।

20. [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible] निम्न योजना का क्रियान्वयन किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
[illegible]	2%	[illegible]	[illegible] Village-[illegible]	
			[illegible]	[illegible]
			Total	4.58

22. सीईआर. के [illegible] जाए। [illegible]

23. सीईआर. के [illegible]

24. सीईआर. एवं [illegible] के [illegible] एवं [illegible] हेतु जिला स्तरीय समिति [illegible] के [illegible] एवं [illegible] प्रशासन के [illegible] के [illegible] सम्मिलित किया जाए। [illegible] सीईआर. एवं [illegible] का कार्य पूर्ण होने [illegible] के [illegible] जिला स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

[illegible] 22.07.2025 [illegible]

25. [illegible]

26. प्रस्तावित हेतु [illegible] 7.0 मीटर चौड़ा [illegible] आवश्यकता [illegible] के 1.5 [illegible] प्रत्यारोपण [illegible] किया जाए [illegible]

27. [illegible] आधार [illegible] आम, जामुन, [illegible] आदि स्थानीय प्रजातियों के [illegible] पौधों का रोपण [illegible] में किया जाए। रोपण के [illegible] के लिए [illegible] एवं [illegible] संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] वृक्षारोपण किया जाए। [illegible] प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं [illegible] 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। [illegible] पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर [illegible] की जा सकती है।

28. रोपित किये जाने वाले [illegible] (Numbering) [illegible] (Geotag) [illegible] करें।

29. [illegible] प्रत्यारोपण किये जाने एवं रोपित पौधे का [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] सुनिश्चित [illegible] पौधों का [illegible] (Mortality replacement) किया जाए। [illegible] होगी।

30. [illegible] वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) [illegible] में समाहित करते हुये [illegible] किया जाए।

31. [illegible] की [illegible]

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] के निष्पादन [illegible] के समय [illegible] D.B.H. [illegible] अधिक नहीं होना चाहिए। [illegible] किया जाए एवं समय-समय पर [illegible] कराया जाए।

33. [illegible] में की जाएगी एवं [illegible] पहुँचे, [illegible]

[illegible] dated 24.07.2023 [illegible]

३५. उत्खनन की योजना इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वन्य प्राणियों एवं जीव-जन्तुओं [illegible] [illegible] वाले स्थानीय वन्य प्राणियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण [illegible]।

३६. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] वायु प्रदूषण [illegible], [illegible] योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंध योजना के अनुसार [illegible] का शतप्रतिशत पालन किया जाए।

३७. [illegible] कार्य करने वाले [illegible] श्रमिकों की सुरक्षा [illegible]। [illegible]

३८. श्रमिकों के लिए [illegible] शौचालय, पेयजल [illegible] की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

३९. [illegible]

४०. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने [illegible] किसी [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति किसी [illegible] नुकसान [illegible] केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों का उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

४१. एसईआईएए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से [illegible] निर्दिष्ट शर्तों में संशोधन कर या पालन [illegible] संशोधित/निरस्त करने [illegible] सुरक्षित रखता है।

४२. परियोजना प्रस्तावक [illegible] स्थानीय [illegible] प्रकाशित [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] की सूचना प्रकाशित करें कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एसईआईएए, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [illegible] पर भी किया जा सकता है।

४३. पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] जिला [illegible] कलेक्टर [illegible] सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल [illegible] एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार [illegible] को प्रेषित किया जाए।

४४. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवा रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं [illegible] का पूर्ण [illegible]

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

मैसर्स [illegible] (मि. [illegible]) की [illegible] 8A1, 8A4, 8A3, 8A4, 8 14, 8 15, 8 16, 8 18 [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] कुल लीज क्षेत्र 2.162 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन [illegible] क्षमता [illegible] 2,500 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों के [illegible] [illegible] किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खनन [illegible] विभाग द्वारा अधिसूचित किसी [illegible] में है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.162 हेक्टेयर [illegible] से अधिक नहीं होगा [illegible] उत्खनन (मिट्टी) क्षमता [illegible] 2,500 घन मीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। लीज क्षेत्र की [illegible] पंजीकृत किया जाए।
3. [illegible] (Benching) नहीं किया [illegible] (Mechanical) [illegible]
4. [illegible] परियोजना [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 तथा संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार [illegible] दिनांक 25/02/2025 तक होगी [illegible]।
5. [illegible]
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी [illegible] से कम से कम 15 मीटर की दूरी [illegible] सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] दिनांक 24/06/2013 एवं [illegible] अधिसूचना दिनांक 22/12/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित [illegible] का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उत्खनन की अधिकतम गहराई [illegible] से अधिक नहीं होगी। उत्खनन [illegible] परिस्थिति में नहीं किया जाए।
8. [illegible] निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. [illegible] किसी भी प्रकार के [illegible] परिस्थिति में [illegible] [illegible]

[illegible] 2025.docx

स्रोतों में किसी भी [illegible] निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु की व्यवस्था की जाए। [illegible] जल की गुणवत्ता [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल [illegible] से [illegible] प्राप्त करने के पश्चात ही [illegible] जाए (यदि आवश्यक हो)।

11. [illegible] प्रबन्धन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

12. खानों एवं अन्य [illegible] से उत्पन्न [illegible] के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं [illegible] नियमावली [illegible] विनिर्दिष्ट मानकों [illegible] के अनुरूप किया जाए। [illegible] में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता [illegible] पर्यावरण [illegible] निर्धारित [illegible] होनी चाहिए।

13. [illegible] किया जाए।

14. [illegible] समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाये [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible] आस-पास के क्षेत्रों में [illegible] पर्यावरण का [illegible] प्रभाव न पड़े।

15. [illegible] आवश्यकता के [illegible] प्रक्रिया का [illegible] मशीन [illegible] उपयोग [illegible] किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि [illegible] में पुनर्भरण [illegible] सुनिश्चित किया जा [illegible] ओवरबर्डन [illegible] वैज्ञानिक [illegible] किया जाए।

17. [illegible] सुनिश्चित किया जाए कि [illegible] प्रक्रिया [illegible] की जाए।

18. मिट्टी, भराई [illegible] एवं [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible] सम्पन्न योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
			Following activities in Nearby Government High School Village-Charadongari	
37	2%	0.74	Rain Water Harvesting Structure Construction work	0.70
			Running Water Facility for toilet	0.10
			Donation in Govt. Primary School & Govt. High School	0.10
			Total	0.90

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। कार्यवाही के उपरांत स्थापित कार्यों के कार्य पूर्ण [illegible] के फोटोग्राफ्स सहित [illegible] में प्रस्तुत किया जाए। [illegible]

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत [illegible] कार्यों के लिए राशि 8,000 रुपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 4,000 रुपये, खाद के लिए राशि 200 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 500 रुपये तथा रख-रखाव एवं अन्य कार्यों के लिए राशि 1,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,000 रुपये हेतु [illegible] किया जाना है।

22. सी.ई.आर. [illegible] हेतु [illegible] (परमिशन/अनुमति) [illegible] एवं जिला [illegible] या [illegible] के पत्र/अनुमति [illegible] किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के [illegible] सहित [illegible] से सत्यापित कराया जाए।

23. [illegible] सी.ई.आर. [illegible] प्रस्तुत किया जाना [illegible]।

24. [illegible] केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की [illegible] के अनुरूप किया जाए।

25. [illegible] 2005 [illegible] वृक्ष [illegible] क्षेत्र के अनुसार [illegible] स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण [illegible] किया जाए। [illegible] प्राकृतिक [illegible] एवं [illegible] किया जाए [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] किया जाए [illegible] ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर [illegible] वानिकीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

26. [illegible] (Monitoring) [illegible]

27. [illegible] वृक्षारोपण [illegible] (Survival rate) [illegible] सुनिश्चित किया जाए। [illegible] सुनिश्चित [illegible] प्रतिस्थापित (Replacement) किया जाए।

28. किए गए वृक्षारोपण की [illegible] डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) [illegible] (एफ.एस.आई.) [illegible] जाए।

29. [illegible] जाएगी।

30. [illegible] किया जाए।

31. [illegible] सुनिश्चित [illegible] पर दुष्प्रभाव न हो।

32. [illegible] एवं [illegible] किया जाए।

33. कार्य स्थल पर यदि [illegible] कार्य पर [illegible] आवास [illegible] प्रदाय [illegible] जाएगी। [illegible] संस्थाओं [illegible] सके।

34. [illegible]

35. [illegible]

36. यह वानिकीय स्वीकृति [illegible] सम्पत्ति पर [illegible] वानिकीय स्वीकृति [illegible] सम्पत्ति [illegible] अथवा [illegible] के [illegible] एवं [illegible] है।

37. [illegible] की [illegible] एवं [illegible] संस्था के [illegible] जिनमें स्थित वर्तमान उल्लेखित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. [illegible] / [illegible] भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. एम.ओ.ई.एफ.सी.सी., [illegible] की [illegible] परियोजना की [illegible] अथवा विशिष्ट शर्तों के [illegible] संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें [illegible] / [illegible] सकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

39. [illegible] परियोजना [illegible] के पास [illegible] परियोजना [illegible] एवं [illegible] [illegible] गाय भी [illegible] [illegible] पर भी किया जा सकता है।

40. [illegible] स्वीकृति में [illegible] शर्तों के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

41. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, [illegible] द्वारा [illegible] स्वीकृति में [illegible] शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। [illegible] परियोजना प्रस्तावक [illegible] प्रस्तुत [illegible] एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] [illegible] किया जाए।

42. [illegible] वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]/[illegible] की शर्तों के [illegible] के संबंध में [illegible] हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना [illegible] शर्तों का अनुपालन करना नहीं [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] जा सकेगी।

43. [illegible] [illegible] नियंत्रण) अधिनियम, 1974 [illegible] 1981, [illegible] (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा [illegible] [illegible] एवं [illegible] नियम, 2016 एवं [illegible] बीमा अधिनियम, 1991 तथा [illegible] के अधीन [illegible] जा सकता है।

44. [illegible] परियोजना [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में [illegible] कोई भी [illegible] [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] [illegible]

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

परिशिष्ट–38

[illegible] क्रमांक 744, 760/1, 760/4, [illegible] एवं 760/2, ग्राम–[illegible], तहसील [illegible], जिला [illegible] [illegible] 1.34 हेक्टेयर, [illegible] 12000 [illegible] हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। [illegible] शर्तों [illegible] पालन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] होगा।
2. [illegible] 1.34 हेक्टेयर [illegible] अधिक नहीं होगा। [illegible] 12000 [illegible] से अधिक नहीं होगा। [illegible] किया जाए।
3. [illegible] (Activity) [illegible]
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] 2006 [illegible] संशोधित [illegible] तारीख से 30 वर्ष अर्थात दिनांक 25/12/2047 तक होगी [illegible]।
5. [illegible]
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] दिनांक 24/06/2013 के [illegible] कम से कम 10 मीटर की [illegible] सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय [illegible] दिनांक 24/06/2013 एवं [illegible] अधिसूचना दिनांक 22/11/2013 [illegible] किया जाए।
7. [illegible] अधिकतम [illegible] अधिक नहीं होगी। [illegible] परिस्थिति में नहीं किया जाए।
8. [illegible] परिस्थिति में [illegible] नहीं किया जाए। [illegible]

[illegible] dated 25/12/2017 [illegible]

[illegible] और ध्वनि प्रदूषण परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक स्तर [illegible] संचालन [illegible] के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

9. खनन के संचालन हेतु केन्द्रीय [illegible] बोर्ड [illegible] प्राप्त किया जाए। [illegible] आवश्यक हो।

10. [illegible] न्यूनतम एवं उत्सर्जन का नियंत्रण करायें एवं [illegible] संचालन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

11. मशीनों एवं अन्य प्रक्रिया [illegible] वायु प्रदूषण [illegible] वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के [illegible] परिवेशीय वायु की गुणवत्ता [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. [illegible] संचालन हेतु [illegible] प्राप्त किए जाए।

13. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाव के लिए [illegible] किया जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि फ्लाई ऐश [illegible] आस-पास [illegible] आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़ें।

14. [illegible] मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग [illegible] भण्डारण हेतु [illegible] मिट्टी (टॉप सॉइल) को [illegible] किया जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को [illegible] विपरीत प्रभाव न पड़ सके एवं [illegible] मूल उपयोग अथवा वांछित [illegible] उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। [illegible] 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि [illegible] के आस-पास के नालों/जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। [illegible]।

17. मिट्टी, [illegible] तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त [illegible] वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी [illegible] वाहन से बाहर नहीं गिरे। [illegible] क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. [illegible] (Corporate Environment Responsibility) [illegible] कार्य योजना [illegible] किया जाए।

[illegible]

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities in Village- Kudeli	
			Paudha Van Nirman	[illegible]
			Total	[illegible]

19. [illegible] किया जाए। [illegible] प्रस्तुत किया जाए। [illegible] स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

20. सीईआर की [illegible] 1042 [illegible] प्रस्तुत करें।

21. सीईआर [illegible] आवश्यक है। [illegible] जाए।

22. [illegible] निरस्त [illegible] होंगे।

23. [illegible] किया जाए। [illegible] जाए।

24. प्राथमिकता के [illegible] जाए। [illegible] स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

25. [illegible] (Surveillance) [illegible] ।

26. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर उचित वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही [illegible] मृत पौधों का रिप्लेसमेंट (Casualty replacement) किया जाए।

27. किये गये वृक्षारोपण की [illegible] डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) [illegible] एवं [illegible] प्रस्तुत [illegible] किया जाए।

28. [illegible] की जाएगी।

29. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि [illegible] न हो। उत्खनन [illegible] प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

30. [illegible] 2016 [illegible] उत्खनन योजना एवं [illegible] किया जाए।

31. [illegible] यदि [illegible] जाते हैं [illegible] प्रभावशील [illegible] परियोजना पूर्ण होने के पश्चात [illegible]

32. [illegible] के लिए [illegible] सुविधा, शौचालय आदि की [illegible]

33. श्रमिकों का [illegible] पर [illegible] परीक्षण [illegible] आवश्यक है।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा [illegible] पर [illegible] नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी [illegible] को [illegible] स्थानीय [illegible] से [illegible] है।

35. उत्खनन की [illegible] एवं [illegible] उत्खनन योजना [illegible] किसी भी [illegible] परिवर्तन [illegible] / [illegible] भारत सरकार से [illegible] नहीं किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की [illegible] निर्धारित शर्तों का संतोषजनक रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त / [illegible] / निरस्त करने [illegible] सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना [illegible] 07 दिनों के भीतर [illegible]

सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01 | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

मेसर्स [illegible] स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री [illegible] कुमार चतुर्वेदी)
को खसरा क्रमांक 187/1, कुल रकबा 0.45 हेक्टेयर, ग्राम [illegible], तहसील [illegible],
जिला–[illegible] में [illegible], [illegible]
[illegible] उत्खनन क्षमता [illegible] हेतु [illegible] की जाने वाली शर्तें

यह [illegible] स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन [illegible] शर्तों के [illegible] पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

1. यह [illegible] स्वीकृति [illegible] 0.45 हेक्टेयर अथवा [illegible] शासन, [illegible] विभाग [illegible] दोनों में से जो कम हो, हेतु [illegible]। इसी प्रकार [illegible] में [illegible] अधिकतम [illegible] से अधिक नहीं हो। [illegible] सुनिश्चित [illegible]।
2. [illegible] स्वीकृति [illegible] (यथा संशोधित) के [illegible] के अनुसार [illegible] और [illegible] 30 वर्ष अर्थात दिनांक 24/06/2052 तक [illegible] हो।
3. [illegible] प्रमुख प्रवेश द्वार पर [illegible] का नाम, [illegible] की [illegible] स्वीकृति [illegible] जाए।
4. [illegible] हेतु [illegible] के अनुसार [illegible] सड़कों एवं [illegible] किया जाए।
5. पूर्व में [illegible] शर्तों का [illegible] पालन [illegible] शर्तों का [illegible] प्रस्तुत किया जाए।
6. [illegible] के आदेश दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] एवं [illegible] स्वीकृति के शर्तों के पालन सुनिश्चित [illegible] हेतु [illegible] पर्यावरण [illegible] नियुक्त करना है।
7. [illegible] एवं [illegible] (यदि कोई हो) के [illegible]।
8. [illegible] सुनिश्चित [illegible] नहीं [illegible] किया जाए [illegible] हेतु [illegible] किसी [illegible] नहीं किया जाए [illegible] व्यवस्था की जाए [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा [illegible] अथवा [illegible] पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा [illegible] के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

..2/

[illegible]
[illegible] 2025.docx

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activites) हुए है, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / फ्यूजिटिव स्त्रोतों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। व्हिल वॉशिंग प्लांट का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्पेसिफाईड मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. [illegible] सुनिश्चित किया जा सके।

19. [illegible] की जाए।

20. [illegible] वाहन से किया जाए, [illegible] सीमा से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य [illegible] किया जाए:

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
[illegible]	2%	0.45	Following activities at Govt. High Sec. School Village-Ghiijiya:	
			Plantation around school Campus	2.704
			Total	2.704

22. [illegible] सी.ई.आर. कार्य [illegible] किया जाएगा।

23. [illegible] है।

24. सी.ई.आर. [illegible] से [illegible] कराया जाए।

25. [illegible] के निर्देशों [illegible] कार्यों का [illegible] जिम्मेदारी होगी।

26. [illegible] आदि में [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] जाए।

27. [illegible] के आधार पर [illegible] वर्ष 2020–30 से कम से कम 200 [illegible] प्रति हेक्टेयर औसत क्षेत्र के अनुसार [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], इमली, अर्जुन, [illegible] आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के [illegible] नग पौधों का रोपण (कुल [illegible] लाख पौधे) खनन के पूर्व क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं [illegible] व्यवस्था [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] नहीं करने पर [illegible] स्वीकृति [illegible] की जा सकती है।

28. [illegible] पौधों में [illegible] एवं [illegible] (Canopy) [illegible] [illegible] जाए।

29. [illegible] एवं [illegible] किये जाने वाले [illegible] पौधों का उत्तरजीविता दर (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत [illegible] जाए। साथ ही [illegible] पौधों को [illegible] ([illegible] replacement) किया जाए। [illegible] रोपित पौधों [illegible] एवं [illegible]।

30. [illegible] (Differential Global Positioning System) [illegible] एवं [illegible] को [illegible] किया जाए।

31. [illegible] मीटर [illegible] क्षेत्र में [illegible] [illegible] [illegible]।

32. परियोजना [illegible] हेतु [illegible] किया जाए। [illegible] दिन के समय 75 dB(A) एवं रात्रि के समय 70 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। [illegible] वाले क्षेत्र में [illegible] करने वाले श्रमिकों [illegible] किए जाएं एवं समय–समय पर [illegible] एवं आवश्यकता [illegible] जाए।

33. [illegible] में नहीं किया जाए। [illegible] जाए।

34. [illegible] की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि [illegible] पर [illegible] में पाये जाने वाले प्राकृतिक [illegible] एवं [illegible] का [illegible] संरक्षण [illegible] होगा।

[illegible]

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] आवश्यक [illegible] प्राप्त [illegible] के [illegible] किया जाए। राष्ट्रीय [illegible] 1982 के [illegible] का पालन किया जाए।

36. [illegible] पर [illegible] [illegible] होने पर [illegible] [illegible] [illegible] हो सकता है [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।

37. श्रमिकों के लिए [illegible] समय पर [illegible] [illegible] सुविधा [illegible] आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. [illegible] करना आवश्यक है।

39. [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible], जिसमें [illegible] एवं [illegible] [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., [illegible] / [illegible] की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. [illegible] अथवा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ [illegible] को [illegible] से परियोजना की [illegible] [illegible] शर्तों के [illegible] [illegible] की [illegible] में [illegible] को [illegible] संशोधन / [illegible] करने अथवा नई शर्तें जोड़ने [illegible] / [illegible] के [illegible] सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] प्रकाशित करेगा [illegible] परियोजना की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] है। [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की [illegible] पर भी देखा जा सकता है।

43. [illegible] [illegible] [illegible] मासिक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] भेजा जाए।

44. [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] परियोजना प्रस्तावक द्वारा [illegible] [illegible] किए गए [illegible] एवं [illegible] एस.ई.आई.ए.ए. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] किया जाए।

45. एस. [illegible] तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकी [illegible] र्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन [illegible] यंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को श [illegible] न के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। [illegible] नायक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरण [illegible] रस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट 1

[illegible]

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. [illegible]

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन [illegible] तथा [illegible] नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible] कार्ययोजना एवं [illegible] के अनुसार [illegible] पर्यावरण [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible] दिनांक 23/12/202[illegible] के अनुसार [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु [illegible]

7. [illegible]

8. भौगोलिक प्रक्रिया [illegible] किसी भी [illegible] भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा [illegible]

[illegible] dated [illegible]

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की

[illegible] के कूटनीति [illegible] किया जाए।

18\. [illegible] संख्या [illegible] अनुमति/मिति [illegible] विरुद्ध [illegible] के [illegible] [illegible] ताकि भूमि का मूल [illegible] किया जाए।

19\. परियोजना प्रस्तावक [illegible] किया जाए [illegible] के आस–पास के [illegible] [illegible] की व्यवस्था की जाए।

20\. [illegible] से किया जाए, ताकि [illegible] नहीं गिरे। [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

21\. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) [illegible] निम्नानुसार [illegible] के [illegible] किया जाए :-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.68	2%	0.27	Following activities at Village-Katka Pindwala ... Village Pond	0.50
			Total	0.55

22\. [illegible] पूर्ण [illegible] जाए। [illegible] सुनिश्चित [illegible] स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23\. [illegible] की [illegible] के पानी और [illegible] की विभिन्न [illegible] अनुसार पानी के लिए [illegible] रुपये [illegible] के लिए प्रति [illegible] रुपये, सिंचाई तथा वृक्षारोपण आदि के लिए प्रति [illegible] रुपये [illegible] आगामी 5 वर्ष में कुल [illegible] 31,[illegible] रुपये हेतु [illegible] व्यय का विवरण प्रस्तुत [illegible] गया है [illegible] प्रस्तावक [illegible] के [illegible] 1994, [illegible] के संबंध में [illegible] पूर्ण करें।

24\. [illegible] पंजीकरण [illegible] आवश्यक है। [illegible]

[illegible]

[illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

25. खान की निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु [illegible] पर आये, तब उन्हें [illegible]/[illegible]/[illegible] का निरीक्षण के साथ-साथ [illegible] के बाहर [illegible] कराए गये कार्यों का निरीक्षण भी [illegible] रूप से कराना आवश्यक/अनिवार्य होगा।

26. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदि में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रदान [illegible] में किया जाए। यदि [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार किया जाए।

27. पट्टाक्षेत्र के बाहर पर लगातार प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025–26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर [illegible] के अनुसार यथा पीपल, नीम, बरगद, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 138 नग पौधों का रोपण ([illegible] पौधे) [illegible] किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये [illegible] [illegible] की बाड़ [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। [illegible] नहीं करने पर [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] निरस्त की जा सकती है।

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रस्तुत करें।

29. [illegible] [illegible] के अंदर एवं बाहर [illegible] वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सर्वाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। [illegible] वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक [illegible] [illegible] [illegible] (Mortality replacement) किया जाए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. [illegible] [illegible] की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] किया जाए।

31. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रतिवेदित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की जाएगी।

32. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किए जाए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 75 DB(A) [illegible] नहीं होना चाहिए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्रमिकों को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] भी [illegible] जाए।

33. [illegible] में की जाएगी एवं [illegible] प्रक्रिया [illegible]

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि [illegible] एवं [illegible] पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जलस्त्रोतों का [illegible] संरक्षण [illegible] किया जाए।

35. [illegible] नियम, 2016 [illegible]

36. कार्य स्थल पर यदि [illegible] सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जायेगी [illegible] जिससे परियोजना पूरी होने के पश्चात् [illegible] जा सके।

37. [illegible] आदि की [illegible] जाए।

38. मशीनों का समय-समय पर [illegible] आवश्यक है।

39. [illegible] नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति से यह नहीं समझा जाए [illegible] अधिकार [illegible] है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी [illegible] न्यायालयों [illegible] अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय [illegible] / विभागों से स्वीकृति हेतु अधिकृत करता है।

41. [illegible]

42. परियोजना प्रस्तावक [illegible] 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना [illegible] प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति [illegible] 7 दिनों के भीतर [illegible] की सूचना प्रकाशित [illegible] कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति [illegible] छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका [illegible] छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [illegible] पर भी किया जा सकता है।

43. [illegible] भारत सरकार, [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय [illegible] किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, १९९१ (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01

परिशिष्ट–12

मैसर्स भरतोम्बा ब्रिक अर्थ माईन, प्रो.– श्री [illegible] कुमार [illegible] खसरा नंबर 138/2[illegible]/[illegible]/2, 140 एवं 146, ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible], कुल लीज एरिया 3.451 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (ईंट मिट्टी), क्षमता – 2,000 घन मी. ([illegible]) खनिज परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को [illegible] तथा उत्खनन में पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

[illegible] [illegible] अधिसूचना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है।

2. उत्खनन [illegible] 3.451 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार [illegible] मिट्टी उत्खनन (ईंट मिट्टी) क्षमता – 2,000 घन मी. [illegible] से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन [illegible] मुनारे लगाए जाएं। [illegible] से सत्यापित किया जाए।

3. [illegible] (Benching) [illegible] (Benching) [illegible]

4. पर्यावरणीय स्वीकृति का वैधता [illegible] भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 21/10/2009 [illegible] होगी।

6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी [illegible] दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मिट्टी [illegible] के [illegible] 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन [illegible] सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु [illegible] दिनांक 24/06/2013 [illegible] अधिसूचना दिनांक [illegible] मिट्टी उत्खनन हेतु [illegible] [illegible] जाए।

7. [illegible] 2 [illegible] अधिक नहीं होगी। [illegible] किसी भी [illegible] न नहीं किया जाए।

8. [illegible] [illegible] का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. खनन से उत्पन्न [illegible] [illegible] उपयोग [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] किया जाए [illegible]

[illegible] dated 21.07.2025 [illegible]

[illegible] नहीं किया जाए। [illegible] बाद की गुणवत्ता [illegible] सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक [illegible] के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

11. [illegible] किया जाए। [illegible]

12. [illegible] की विभिन्न [illegible] उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं [illegible] रूप से किया जाए। [illegible] एवं अन्य [illegible] उत्सर्जन [illegible] की व्यवस्था [illegible] किया जाए।

13. [illegible] अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत [illegible] का [illegible] किया जाएगा। [illegible] परिवेशीय वायु की गुणवत्ता [illegible] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित [illegible] नहीं होनी चाहिये।

14. [illegible] की [illegible] लगाया किया जाए।

15. [illegible] के लिए [illegible] का निष्कासन किया जाये [illegible] सुनिश्चित किया जाये [illegible] जल–धारा के पास [illegible] जल–धारा की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

16. [illegible] के दौरान [illegible] नहीं होने पर [illegible] (stowage) [illegible]

17. [illegible] एवं [illegible] प्रकार से [illegible] जल–धारा [illegible] प्रभाव न पड़ सके एवं [illegible] हेतु [illegible] किया जाए।

18. [illegible] किया जाए [illegible] न हो। [illegible] हेतु [illegible] की व्यवस्था की जाए।

19. [illegible] का [illegible] सुनिश्चित किया जाए।

[illegible]
[illegible] 21.07.2025 [illegible]

19. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु [illegible]

Capital investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
51	2.5 [illegible]	1.00 [illegible]	Following activities at Govt. Middle School Village- Gopkomba [illegible] Installation of [illegible] Solar System	1.10 [illegible]
			Total	1.10 [illegible]

20. [illegible]

21. [illegible]

22. [illegible]

23. [illegible]

24. प्राथमिकता के आधार पर [illegible] वर्ष 2025–30 [illegible] पौधे [illegible] के अनुसार [illegible], नीम, [illegible], शीशम, आम, इमली, जामुन, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण [illegible] पंक्तियों में [illegible] किया जाए। [illegible] 5 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए [illegible] वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

[illegible]

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

30. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

31. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

36. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक [illegible] यह सुनिश्चित करें कि परियोजना [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर [illegible] की सूचना प्रकाशित करना कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति [illegible] छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों [illegible] एस.ई.आई.ए.ए. [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] किया जाए।

40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जायेगी। इस हेतु [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible], रायपुर को [illegible] जाए।

41. [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

42. परियोजना प्रस्तावक [illegible] शर्तों का [illegible] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, [illegible] जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, [illegible] (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, [illegible] अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

43. प्रस्तावित परियोजना की शर्तों में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ [illegible] एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ [illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति [illegible] जिला [illegible] कलेक्टर/[illegible] को [illegible] प्रेषित करें।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय हरित [illegible] के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 30 दिन की समयावधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. – 01

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. – 01